खण्ड-434, अंक-7
सोमवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1922
(1 मई, 2000 ई0)

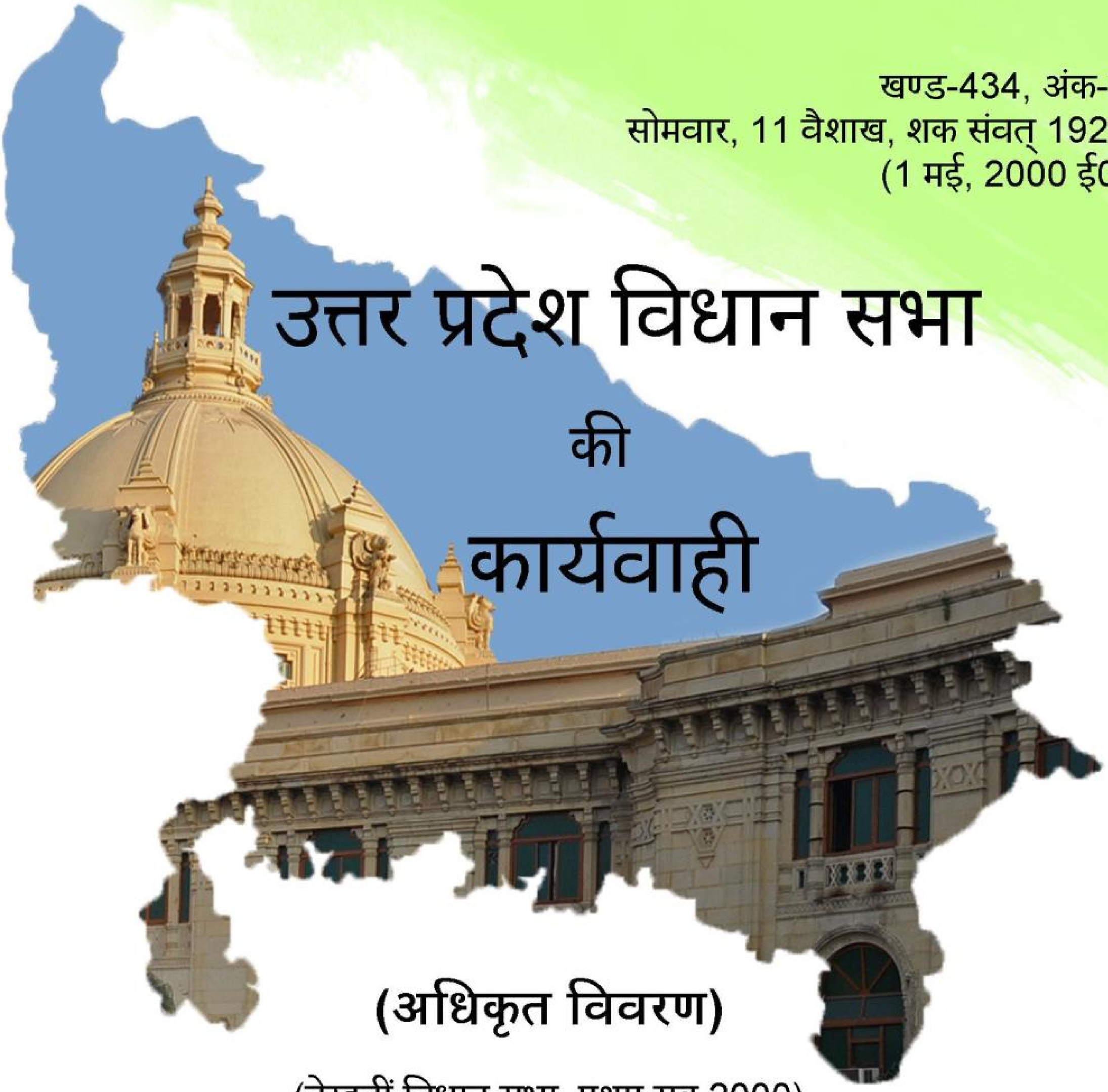

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क--ख
मई दिवस पर अवकाश घोषित किये जाने की मांग विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग ।	1-2
प्रश्नोत्तर	2-39
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ।	40-41
भूतपूर्व सदस्यों श्री अनवार जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल तथा श्री बाबूराम के निधन पर शोकोद्गार	41-45
निधन के निर्देश के समय मंत्रि मण्डल में सम्मिलित राजनैतिक दलों के नेताओं की सदन में अनुपस्थिति पर उठाई गयी आपत्ति ।	45-46
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ।	46
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के ग्राम पीपरगांव के स्वीकृत स्थल पर होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	46
जनपद रुद्रप्रयाग पौड़ी एवं चमोली में गत वर्ष भूकम्प, भूस्खलन एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोंगों को अन्यत्र विस्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	46-47
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के छात्रों के उपयोगार्थ घोषित की गयी सत्तर लाख रुपये की धनराशि रिलीज करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	47
राज्य के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं भारतीय वालीबाल के पूर्व कप्तान को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	47-48
जनपद लखनऊ के मोहन गोल्ड वाटर बेबरीज लिं० अलीगंज के फार्म हाऊस में कार्यरत कर्मचारियों के बकाये अवशेष का भुगतान कराने एवं पुनः काम पर लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना । ...	48
जनपद बस्ती के महनुआ दासिया मार्ग के शेष 7 कि०मी० के निर्माण की स्वीकृति पूर्वांचल निधि के राज्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना । ...	48
जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं इटावा में पेयजल समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना । ...	48-49
बजट प्रावधानों के विपरीत गैर लेवी चीनी, तम्बाकू उत्पादन पर प्रवेश कर तथा मोटर वाहनों और उनके कल पुर्जों पर व्यापार कर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ।	49-53
लोक निर्माण मंत्री के त्याग पत्र के कारण सदन व सरकार का कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर निर्णय ।	53-54
लोक निर्माण मंत्री के त्याग पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास । (जारी)	54-57

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें । ...	57-58
लोक निर्माण मंत्री के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ।	58-68
ऐतिहासिक पर्यटन नगरी आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत की [illegible] सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत [illegible] चर्चा का स्थगन । (जारी)	68-69
प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा । (जारी)	69
प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बनध में श्री समरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा । (जारी)	69
इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा संकल्प पर चर्चा । (जारी) ...	69
प्रदेश के सतही एवं भूगर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	69-70
प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती सेवा शर्तों का) विधेयक 2000 (असरकारी) (पुरःस्थापित)	70
कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा (जारी) ...	70
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	71-72
विश्व व्यापार संगठन के दबाव में हुये मुक्त व्यापार समझौते से प्रदेश का विभिन्न मंडियों में देशी जिन्सों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ।	72
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन [illegible] दिये जाने के सम्बनध में डा० अम्मार रिज़वी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य । ...	72

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कथित रूप से व्याप्त अनियमितताओं एवं अवैधानिकताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	73-74
जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर तथा जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामदासपुरा व अलहदादपुर में हुये अग्नि काण्ड के पीड़ितों को शासकीय सहायता दिलाने तथा तत्काल राहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल रावत व श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।	74-75

विधान सभा सचिवालय

उदय विधान सभा कुदरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 1 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
3–अजय राय, श्री — वाराणसी
4–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
5–अनिल कुमार, श्री — बलिया
6–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
7–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
8–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
9–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
10–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
11–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
12–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
13–ओमंकार सिंह, श्री — बदायूं
14–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
15–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
16–काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
17–के०सी० सिंह "बाबा", श्री — उधमसिंह नगर
18–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री — झांसी
19–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
20–जगपाल, श्री — सहारनपुर
21–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
22–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
23–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
24–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
25–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
26–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
27–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
28–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
29–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
30–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
31–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
32–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
33–मालवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
34–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
35–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
36–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
37–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
38–राजधारी, श्री — बलिया
39–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
40–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
41–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
42–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
43–राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
44–रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
45–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
46–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
47–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर

48–लाखीराम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
49–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
50–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
51–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
52–विनय कुमार पाण्डेय, "बिन्नू" श्री — गोण्डा
53–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
54–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
55–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
56–विशम्भर सिंह, श्री — मथुरा
57–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
58–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री — रायबरेली
59–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
60–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
61–शिव शंकर, श्री — बांदा
62–श्रीराम, श्री — मऊ
63–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
64–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
65–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
66–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
67–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
68–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
69–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
70–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
71–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — ऊधम सिंह नगर,
72–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
73–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
74–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 1 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 04 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(कोरम के अभाव में सदन की बैठक 04 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

मई दिवस पर अवकाश घोषित किये जाने की मांग विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग

*श्री रामजग–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है । 1886 में मजदूरों ने बहुत बड़ी शहादत दी । आज मजदूर पूरी दुनिया में अपना पर्व मना रहा है । इतना बड़ा त्योहार और कोई नहीं हो सकता । लोकसभा भी आज बन्द है । तमाम सरकारों ने आज छुट्टी की है । उत्तर प्रदेश की सरकार अपने को मजदूर समर्थक घोषित करती है । इसलिए आज श्रमिक वर्ग के त्योहार पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय और छुट्टी की जाय । उत्तर प्रदेश के विकास में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है । आज सभी श्रमिक मीटिंग, प्रदर्शन और धरना देकर अपने इस त्योहार को मना रहे हैं । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है । हमने नियम–311 में इसकी सूचना दी है । इस पर चर्चा करायी जाय और आज के दिन छुट्टी की जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मई दिवस के उपलक्ष्य में सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री आज सदन में नहीं आये हैं, यही कारण है कि आपको कोरम पूरा करने के लिए 5 मिनट तक घण्टी बजानी पड़ी ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो विरोधाभाष है । दोनों पक्ष के सदस्यों की संख्या कम है केवल सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज मजदूर दिवस के नाम पर छुट्टी कर दी जाय । आप सरकार को निर्देश दें कि आज पूरे दिन के लिये छुट्टी कर दी जाय ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय रामजग जी ने जो अवकाश के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है उसमें बल है । सारी दुनियां आज मजदूर दिवस मना रही है । लोक सभा में भी छुट्टी है । कृपया निधन की सूचनायें लेने के बाद आज का कार्य न हो तो अच्छा है । हम लोग भी केन्द्र के विचारों से अपने आप को जोड़ सकेंगे ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यदि आज नहीं तो ऐसी व्यवस्था आज आपकी तरफ से आ जाय जिससे कि भविष्य में आज मई दिवस के अवसर पर अवकाश रहे । ताकि दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी । हमें असरकारी दिवस नहीं मिल रहा है और फिर आज कोई विधेयक या चर्चा भी नहीं है । सभी माननीय सदस्य इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि विधान सभा का अधिवेशन ज्यादा से ज्यादा दिन तक चले । 5-5 दिनों का अंतराल तो वैसे भी मिल रहा है । कार्य-मंत्रणा समिति ने विचारोपरान्त इसकी संस्तुति नहीं दी है । यह दिवस श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है और हम सब इससे अपने आप को जोड़ते हैं । आज अवकाश घोषित करना संभव नहीं है ।

श्री रामजग–

मान्यवर, आज सारा विश्व श्रमिक दिवस मना रहा है । इस अवसर पर अनेक राज्यों में छुट्टियां भी हैं । यह सरकार श्रमिके विरोधी है । अतः मैं और मेरे दल के सदस्य पूरे दिन के लिए इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रामजग ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह विदेशी संस्कृति का आयात करने वाले लोग अपनी संस्कृति को, विरासत को छोड़ चुके हैं भारत में तो विश्वकर्मा जयन्ती ही श्रमिक दिवस है और मकर-संक्रान्ति से नववर्ष प्रारम्भ होता है पहली मई या पहली जनवरी से नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये इस पर हमारी व्यवस्था आ गई है ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ आप कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री राजेन्द्र यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था एवं अनुरक्षण कार्य

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या जिले एवं ब्लाक स्तर पर किसी अधिकारी को इस हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां ।

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है । अतः इसके लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं बनाया गया है ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज प्रदेश में पेयजल की एक प्रमुख समस्या है । इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों से ग्रामीण अंचलों में पेयजल की आपूर्ति होती है और उनमें से अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हालत में हैं और उनके अनुरक्षण और मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है । हमने प्रश्न किया था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था की गई है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया–"जी हां" । फिर हमने पूछा था–यदि हां, तो क्या जिले एवं ब्लाक स्तर पर किसी अधिकारी को इस हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी को ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है–"विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है । इसके लिये किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं बनाया गया है ।" मान्यवर, आज जो हैण्ड पम्प खराब हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है और न ही री-बोरिंग हो पा रही है, जिसके कारण ग्रामीण अंचल में हाहाकार मचा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण से पूर्व जो भी हैण्ड पम्प खराब होते थे, उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था की गई थी और वर्तमान में जब विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल के हैण्डपम्प जो ग्राम पंचायत को सौंप दिये गये हैं तो इनके अनुरक्षण तथा मरम्मत हेतु क्या कोई धन की व्यवस्था बजट में की गई है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के पूर्व प्रत्येक ब्लाक में जल निगम का एक जूनियर इंजीनियर रहता था और उस समय शासन ने अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था की थी । सितम्बर, 1999 तक की स्थिति तक जब विकेन्द्रीकृत की स्थिति नहीं आयी थी तब तक एक बार 4 करोड़ 69 लाख तथा दूसरी बार 2 करोड़ 65 लाख रुपए स्वीकृत किए थे । जल निगम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी और यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक कि विकेन्द्रीकृत की स्थिति नहीं हो गई ।

डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब से विकेन्द्रीकृत की योजना लागू हुई है, कदाचित ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार ने बहुत सी जिम्मेदारी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के नाम पर ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर करने का बहाना लेकर प्रमुख समस्याओं से अपना पल्लू छुड़वा लिया है । ग्रामीण अंचलों में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, वह पेयजल के सुदृढ़ीकरण के लिये लगाये गये । आज हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है । क्या सरकार ग्राम पंचायतों के बजाय इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेगी ? दूसरा, विकेन्द्रीकृत से पूर्व कितने हैण्ड पम्प खराब थे और विकेन्द्रीकरण के बाद हैण्ड पम्पों की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तृत है ।

पहले प्रश्न का उत्तर दे दें । दूसरे प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करने के बाद भी सरकार ने उसके लिये पंचायतों को [illegible] करोड़ रुपये अनुरक्षण के लिये दिया है ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं [illegible] रक्षण के लिये पैसा दिया गया है उसमें प्रति हैण्ड पम्प के हिसाब से कितना दिया गया है । दूसरा [illegible] कि इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है । पंचायतों के पास कोई टेक्निकल हैण्ड आदमी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी विकास खण्ड स्तर पर ऐसे टेक्निकल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो इन हैण्ड पम्पों की मरम्मत ठीक से कर सकें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि प्रत्येक हैण्ड पम्प के हिसाब से 100 रुपये प्रति के लिये दिया है । उसके साथ ही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत जो धन जा रहा है उसमें से 15 प्रतिशत खर्च करने का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है । इसे वे अनुरक्षण के लिये खर्च कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय [illegible] ने एक प्रश्न कि[illegible] कि टेक्निकल जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता इस कारण से यह हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो पाते तो क्या अनुरक्षण के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इसके लिये शासन स्तर पर तय किया गया है कि यह पंचायतों के द्वारा किया जायेगा । सदन के संज्ञान हेतु बता दूं कि जल निगम में इस सन्दर्भ में कुछ कारीगरों को ट्रेंड किया है । 65 हजार कारीगरों को ट्रेंड किया गया है जो विभिन्न गांवों में घूम कर इन हैण्ड पम्पों को ठीक करते हैं ।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक गांव में कम से कम 8, 10, 15, 20 हैण्ड पम्प लगे हैं अगर इनमें से एक खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत में 100 रुपये से ज्यादा ही खर्च आता है । किसी-किसी में 500-1000 भी खर्च हो जाता है । रिबोरिंग करनी पड़े तब तो बहुत ज्यादा खर्च होता है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रति हैण्ड पम्प 100 रुपये के हिसाब से दिया है । क्या माननीय मंत्री जी ग्राम पंचायतों की परेशानियों को देखते हुए जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, उनकी संख्या को देखते हुए अनुरक्षण धन में वृद्धि करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसके पूर्व के प्रश्न में जो लालजी वर्मा जी ने पूछा था मैंने बताया था कि 100 रुपये प्रति हैण्ड पम्प के हिसाब से दे रहे हैं और उसके अतिरिक्त जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जो पैसा जाता है उसमें से भी 15 प्रतिशत यह खर्च कर सकते हैं । सभी हैण्ड पम्प तो खराब नहीं होते हैं, जो खराब हैं उनके अनुरक्षण के लिये दिया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी आपको जानकारी है कि ग्राम पंचायतों में जितने भी हैण्ड पम्प लगे हैं वह खराब हो जाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको बुलाकर उनकी मरम्मत कराकर ठीक कराया जा सके ? ब्लाक में एक इंजीनियर है उसके पास कोई मिस्त्री नहीं है जो जाकर ठीक कर सके । ग्राम पंचायतों में अनुरक्षण के लिये जो पैसा दिया गया कितने हैण्ड पम्प के अनुरक्षण पर खर्च हुआ है ? दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था में जो भूल है, उसको दूर करने के लिये अनुरक्षण का काम जल निगम को देंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

शासन स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया है कि रख-रखाव का कार्य पंचायत व्यवस्था होने के बाद पंचायतों की जो समितियां होंगी वे देखेंगे । अनके स्थानों पर बहुउद्देशीय कर्मी भी नियुक्त किये गये हैं । जल संसाधन कमेटी बनी है वह अपने स्तर पर तय करेगी अनुरक्षण के संबंध में । शासन निर्णय ले रहा है कि 150 की आबादी पर हैण्ड पम्प लगाने जा रहा है । अब उसमें यह प्रयत्न होगा कि जल संसाधन समिति को उससे जोड़ा जाए, इसमें 80 प्रतिशत पैसा हम दें और 20 प्रतिशत पैसा वह दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपके माध्यम से एक व्यवहारिक पक्ष रखना चाहता हूं गांव में मजरे होते हैं अगर प्रत्याशी हार जाता है तो उससे संबंधित मजरे का कार्य रुक जाता है । इसी तरह से गांव-गांव में प्रचार हो रहा है कि अनुरक्षण के लिए रास्ता निकाला है, पहले गांव में युवक युवतियों को 10 दिन पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है तो गांव का पैसा गांव में रहता है अनुरक्षण पर खर्चा नहीं करना पड़ता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अनुरक्षण हेतु प्रशिक्षण हेतु धन का प्राविधान करेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसके लिए प्रत्येक ब्लाक केन्द्रों पर पहले से ही प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है कुछ मजरे छूट जाते हैं यह सही है इसीलिए भारत सरकार ने 250 का निर्णय लिया था हमने 150 की आबादी पर उससे भी ऊपर किया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

स्थानीय राजनीति के कारण जो अनुरक्षण से संबंधित समस्या है उसके निराकरण का कोई हल निकालेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मेरा निवेदन है जैसे हम प्रतिनिधि हैं उसी तरह से ग्राम प्रधान भी जनप्रतिनिधि है इस पर शंका करना उचित नहीं है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगते है, अब इण्डिया मार्क–3 हैण्ड पम्प 16,500 लगाए जा रहे हैं यह इण्डिया मार्क–3 हैण्ड पम्प जो हैं यह असफल हो रहे है इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इण्डिया मार्क–3 हैण्ड पम्प हम लगा ही नहीं रहे हैं इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

*श्री जगदीश सिंह राणा–

जनपद सहारनपुर में तहसील बेंट में हैण्ड पम्प लगवाने में 40-50 हजार लगता है । वहां पानी की बहुत समस्या है तो क्या वहां जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प लगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए स्वतंत्र प्रश्न करें यह प्रश्न अनुरक्षण के बारे में है, वैसे मंत्री जी के पास सूचना हो तो बता दें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

नहीं है ।

*केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, इण्डिया मार्क–II और मार्क III के लिए जल निगम ने जनवरी, 95 में एक नियम पुस्तिका निर्गत की थी उसके अन्तर्गत यह लिखा है कि प्रत्येक हैण्ड पम्प के लिए पांच आदमियों की एक समिति गठित की जायेगी जिसमें दो लाभार्थी महिलायें होंगी । इनमें से एक दो के अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त दूसरा यह है कि कोड सिस्टम लागू किया जायेगा । उसमें गांव का कोड होगा, किस योजना के अन्तर्गत वह लगाया जा रहा है हैण्ड पम्प की संख्या क्या है ? कितना गहराई उसकी है ? किस वर्ष वह लगा इसके बारे में बतायें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–II लगाया जा रहा है । किस डेट को लगा, कितनी गहराई है वह अंकित होनी है । उसके सारी चीजें अंकित होनी है । आज की जो स्थिति है आज पंचायतों के अन्दर स्वयं जल संसाधन की एक कमेटी बनी है वह तय करती है । वह अनुरक्षण का काम करती है तथा अन्य काम करती है । पंचायतों ने अपना सारा का सारा कार्य भार ग्रहण कर लिया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

आप स्वयं जाकर देख लें कोई कमेटी बनी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत हो गया है । अंतिम प्रश्न गोरखनाथ पाण्डेय जी को करने की अनुमति देता हूं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

ग्रामीण अंचलों में बिगड़े हुए हैण्ड पम्प के अनुरक्षण के लिए जानना चाहूंगा। आपने बजट की व्यवस्था के अनुरुप बहुउद्देशीय कर्मचारियों की बात कही विकेन्द्रीकरण की बात कही है लेकिन उससे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुरक्षण की समस्या हल नहीं हो पा रही है। मान्यवर, विकेन्द्रीकरण की जो दुर्व्यवस्था है जिसके कारण हैण्ड पम्प के बिगड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है और इसमें सुधार नहीं आ पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हैण्डपम्प जो दुर्व्यवस्था का शिकार हो जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आज पंचायत की सरकार है और हमने उसको सारी व्यवस्था सौंप दी है। एक बार उस सरकार को अपनी व्यवस्था करने दें आप क्यों उसके ऊपर शंका व्यक्त कर रहे हैं। शासन ने उसको पूरा धन उपलब्ध कराया है और पंचायतों को पूरा अधिकार दे रहे हैं। उसके आधार पर वह पूरी व्यवस्था करायेगी। अगर कोई बात आती है तो फिर हम उस पर विचार करेंगे।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं में दिये जाने की मांग

**2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या चिकत्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा को प्रदेश के वातावरण, ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता तथा परिवार कल्याण के प्रति जनसाधारण की रुचियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के स्नातक चिकित्सा शिक्षा रेगुलेशन के अनुरुप दिये जाने की व्यवस्था है। एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप में ग्रामीण क्षेत्रों तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी शिक्षण/प्रशिक्षण/अभिदर्शन किये जाने की व्यवस्था पूर्व में ही विद्यमान है।

(माननीय मंत्री जी के उत्तर पढ़ने के पश्चात्)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी की गति पढ़ने की बहुत तेज है। इनसे कहें कि थोड़ी धीमी गति से बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे लगता है कि वह स्वनाम धन्य अपने पिता से आगे निकल जायेंगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, देशकाल के साथ जो शिक्षण प्रशिक्षण, अभिदर्शन की प्रणाली परिवर्तित नहीं होती है। वह निरर्थक हो जाती है। आज भी अंग्रेजों की बनायी हुई प्रणाली मेडिकल कालेजों में चल रही है।

मान्यवर, आज गांवों में नितान्त कमी है डाक्टरों की, पहाड़ों पर किस प्रकार से डा० भेजे गये हैं फिर भी वहां कमी बनी हुई है। गांवों की अपनी समस्या है, आज इस देश में रुरल मेडिसिन की आवश्यकता है। परिवार कल्याण में विभिन्न सम्प्रदायों धर्मों की रुढ़ियां आड़े आती हैं। प्रश्न हमारा है कि परिवर्तन होना चाहिये, उत्तर आया जी नहीं तो जी नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। मेडिकल काउंसिल व केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार यह सुझाव देगी, व्यावहारिक और लिखित रुप में, कि इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आमूल चूल परिवर्तन की केरी कूलम में आवश्यकता है ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, इस प्रश्न का संबंध मेडिकल काउंसिल से है। मेडिकल कांउसिल में जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें पूर्व में ही इस तरह की व्यवस्था रखी गयी है कि एस०पी०एम० या सेमेस्टर सिस्टम फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक इस तरह का प्रशिक्षिण दिया जाता है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कम से कम 3 महीने के अंत में वह ट्रेनिंग जो कि व्यावहारिक प्रशिक्षण में आती है, ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है।

इस कारण अभी तक ऐसा विदित नहीं हुआ कि यह पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण नहीं है। राज्य सरकार इसके बारे में चिन्तन मनन करने के उपरान्त यदि उचित समझेगी तो केन्द्र सरकार को अपनी इस धारणा से अवगत करा देगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, परिवार कल्याण में विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों और जातियों की रुढ़ियां आड़े आती हैं। इसको भी स्पष्ट रुप से इंगित करते हुए केन्द्र सरकार व मेडिकल कांउसिल को लिखेगी राज्य सरकार ? दूसरे मान्यवर, गांवों की परिस्थितियां अलग हैं, वहां का सेनीटेशन पानी की व्यवस्था अलग किस्म की है, वहां अलग प्रकार के रोग हैं, तो रुरल मेडिसिन का एक अलग विषय होना चाहिये, इस पर विचार करेगी ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं एक जिज्ञासावश इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने प्रश्न में ही इस बात को स्वीकार किया कि स्वयं वह इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। जिस समय वह पढ़ रहे थे यह बात मानी जा सकती है कि अवश्य उन्होंने इस बात का प्रशिक्षण लिया होगा उसके बाद आज वह यह कहने के लिए बाध्य हुए हैं तो राज्य सरकार को आये हुए अभी तीन साल ही अर्सा गुजरा है, मैं समझती हूं कि थोड़ा सा माननीय सदस्य को समय देना चाहिए।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं इसका उत्तर कुछ कारण से नहीं दे सकता। इसलिये जरुरी है कि आपके वक्तव्य से प्रभावित होकर, या आपके अपने संबंधों से प्रभावित होकर मैं आगे प्रश्न न करूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्य मंत्री ने उस समय और इस समय के पाठ्यक्रम के अन्तर को चिन्हित किया है और कुछ नहीं।

नत्थी ख

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गाजियाबाद एवं नोएडा की फैक्ट्रियों का कचड़ा यमुना नदी में निस्तारित होने के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्देश का अनुपालन

*1-श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जमुना नदी में गाजियाबाद तथा नोएडा की फैक्ट्रियों का लगभग दस लाख एम०एल०डी० कचड़ा एवं गन्दा कीचड़ युक्त पानी प्रतिदिन डाला जाता है ? क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

गाजियाबाद एवं नोएडा में स्थित कुल 335 उद्योगों का लगभग 48.118 एम० एल०डी० उत्प्रवाह अंतिम रुप से यमुना नदी में निस्तारित किया जाता है । उपरोक्त 335 उद्योगों में से 24 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है । कुल 44 उद्योगों में वांछित पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित नहीं होने के कारण जल अधिनियम के प्राविधानों के तहत बन्दी आदेश पारित किये गये हैं तथा 44 उद्योग स्वयं के कारण से बन्द चल रहे हैं । 03 उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । यमुना नदी में प्रदूषण के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या –725/94 विचाराधीन है । इस संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, बड़ा अफसोस है कि यमुना नदी में नोएडा और गाजियाबाद के 335 कारखनों का कचड़ा और कीचड़ और काले रंग का पानी । मैंने कहा कि 10 लाख लीटर प्रतिदिन और आप बता रहे हैं उसकी दूसरी गिनती । लेकिन में आपसे जानना चाहता हूं 335 कारखानों में आपने बताया कि 44 अपने यहां प्रदूषण संयंत्र लगा लिये हैं बाकी के यहां नहीं है लेकिन उनका पानी यमुना नदी में उत्प्रवाह किया जा रहा है तो प्रदूषण बोर्ड जिसका पहला काम था कि जो पानी उन्होंने शुद्ध नहीं किया है उसको यमुना जी में छोड़ने का उनका कोई अधिकार नहीं है तो ऐसे कितने कारखानों के खिलाफ बोर्ड ने नोटिस दी ? जुर्माना किया और कितनों का पानी बन्द कराया ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जल प्रवाह का जो 874 उद्योग हैं उसमें से उद्योगों की संख्या 98 है । इसमें शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं 33 में , प्रदूषणकारी क्षेत्र हटा लिये 7 में उद्योग अपने आप से बन्द पाये गये 25. बन्दी आदेश जारी हुए 18 और बोर्ड द्वारा आदेश निर्देश जारी हुए 15 ।

रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, बड़े खेद का विषय है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जब प्रदूषण बोर्ड अपना कार्य करने में लापरवाही और घोर लापरवाही बरतने लगा और इस कचड़े को बन्द नहीं कराया तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और उसके बाद प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि जो आदेश होगा उसका पालन करुंगा । मैं जानना चाहता हूं कि स्टैंडिंग आर्डर क्या है , कारखाना लगाने पर उन्हें प्रदूषण बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, संयंत्र लगाना पड़ता है । यदि यह सारी कार्यवाही स्टैंडिंग आर्डर में

मौजूद हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, उद्योगों से जल प्रवाह होता है इसके अलावा शहरों का मल करकट आदि भी यमुना नदी जी में जाता है लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में ही बताया है 244 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, 44 को बन्द कर दिया है और 3 उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इसके बाद भी माननीय सदस्य को कहीं भी कार्यवाही में कमी लगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ।

(इस समय 11 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय वर्मा [illegible] प्रश्न था कि जब पहले से कोई स्टैन्डिंग आर्डर्स हैं, कोई मानक निर्धारित हैं तो जब कारखाना [illegible] जाता है तो उससे पूर्व मानकों का सत्यापन करने के बाद ही अनुमति देते हैं तो किन परिस्थितियों में अनदेखी करके इनको लगाया गया ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, केवल उद्योगों से ही नहीं बल्कि कई चीजों से यमुना का पानी गंदा होता है । सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें सभी चीजों को लेकर की गई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जो आदेश दिये जाते हैं, उसका अनुपालन किया जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी स्टैंडिंग आर्डर्स का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार को कौन सी परेशनी है तथा उनको संरक्षण देकर सरकार को कौन सा लाभ हो रहा है ? जब नागरिक हतोत्साहित हो गये, तब उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, यह सरकार की बदनामी है तो ऐसे प्रदूषण बोर्ड की लापरवाही उपेक्षा और निकम्मेपन के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जमुना नदी में दिल्ली हरियाणा सभी का पानी आता है, इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ मल मूत्र आदि का पानी भी आता है । सुप्रीम कोर्ट में याचिका सभी बिन्दुओं को लेकर की गई और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करता है, उसका पालन किया जाता है । कोई अधिकारी यदि उनकी जानकारी में हो तो वह बतावें उसे दण्डित करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न सिर्फ इतना था कि जिन औद्योगिक इकाइयों की वजह से लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो ऐसा क्या प्रतीत नहीं होता कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय रहते यदि एक्शन लेता तो सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं पड़ता तो जिन लोगों ने अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरती है, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जो उद्योग पानी को गंदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई हैं । मैंने मा० सदस्य से कहा है कि यदि किसी अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है तो उसको दण्डित करने में कोई हिचक नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर देते समय मंत्री जी ने बताया कि 335 उद्योगों का लगभग 48.116 एम०एल०डी० उत्प्रवाह अंतिम रुप से यमुना में जा रहा है और आगे बताया कि 24 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र लगे हैं 44 उद्योगों में वांछनीय संयंत्र न लगे होने के कारण बन्दी के आदेश किये गये हैं । और 3 उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार इनकी कुल संख्या 264 बैठती है । मैं जिस विसंगति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में दिये आंकड़े और हैं जब माननीय सदस्य ने अनुपूरक पूछा तो मंत्री जी के दिये आंकड़े कुछ और हैं आंकड़ों में काफी अन्तर हो रहा है और सदन के समक्ष लिखित उत्तर आज ही प्रस्तुत किया गया है । जब 335 उद्योगों में से यदि उत्तर के साथ देखा जाए तो 264 के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यह जानकारी नहीं मिल पा रही है । अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में मंत्री जी डिटेल बता रहे हैं यह लिखित उत्तर में क्यों नहीं आया ? मान्यवर, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री बच्चा पाठक–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह मिसप्रिन्टेड है जो दिया गया है यह 24 नहीं 244 है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यदि यह मिसप्रिन्टेड है और मंत्री जी के हस्ताक्षर से यहां आ गया । जिस अधिकारी की लापरवाही से यह हुआ है , मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

निश्चित रुप से इस बात की सावधानी होनी चाहिए कई जगह पर इस बात का परीक्षण किया जाता है, भविष्य में इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि इस तरह से विसंगतिपूर्ण उत्तर सदन में न दिया जाये ।

श्री बी०.आर० वर्मा–

मान्यवर, 335 उद्योगों में से 244 उद्योग जिनका उत्सर्जन उत्प्रवाह यमुना नदी में सीधे गिरता है उसमें से मंत्री जी ने बताया कि 244 उद्यागों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र लगे हुये हैं और 44 उद्योग में छोटे छोटे उत्प्रवाह संयंत्र हैं और बन्दी के आदेश दिये हैं । माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि बाकी उद्योग इस समय बन्द हैं कि नहीं ? दूसरा मेरा प्रश्न है, बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि शेष जितने उद्योग बचे जा रहे हैं 244 में संयंत्र लगे हुए हैं , 44 में इन्होंने बन्दी के आदेश दिए हैं और 44 स्वयं बन्द हैं और 3 के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त जितने उद्योग हैं वह उद्योग अब चालू हालत में हैं । हर साल पोल्यूशन कन्ट्रोल वाटर.कन्सल्ट देते हैं , जल सहमति देते हैं तभी ये चलते हैं, क्या इन उद्योगों को जल सहमति मिली है, यदि नहीं मिली है तो निश्चित रुप से इसके पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारी जिम्मेदार हैं तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, किसी भी उद्योग को लगाने के लिये वह प्रमाण पत्र लेना पड़ता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं, उद्योग लगाने के लिए एन०ओ०सी० दी जाती है और उद्योग चलाने के लिए वाटर कन्सल्ट दी जाती है जो हर साल दी जाती है ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इसका हर जगह सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें यह कार्यवाही की जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न एक तो यह था कि यह जो जितनों को बन्दी के आदेश दिए हैं, उसमें से वास्तव में कितने उद्योग बन्द हैं और इसके बावजूद कितने चल रहे हैं और दूसरा यह है जो वाटर कन्सल्ट इसे एनुअली देते हैं ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले उत्तर दे दिया कि 44 उद्योगों को माह जनवरी, फरवरी में बन्द किया गया है और वर्तमान में भी बन्द हैं ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी 335 इकाईयों की स्थापना के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति दी गयी थी या नहीं । अनापत्ति देते समय शुद्धीकरण संयंत्र लगे थे या नहीं, यदि नहीं लगे थे तो अनापत्ति किस प्रकार से दी गई । इसके अतिरिक्त पर्यावरण विभाग की नदियों में जल की शुद्धता के मानक क्या हैं, नोएडा, कोसी, मथुरा, आगरा में मानक के अनुसार स्थिति क्या है ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे दें ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, कोई भी उद्योग एन०ओ०सी० दिये जाने के बाद ही स्थापित होता है । जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है ।

श्री केशो मेहरा–

244 में संयंत्र लगाये गये बाकी उद्योगों में नहीं लगे तो उनको अनुमति कैसे मिल गयी ? अगर अनुमति मिल गई तो अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक–

एन०ओ०सी० उद्योग खोलने के पहले दी जाती है । 335 में से 244 में संयंत्र लगे हुए हैं जहां पर संयंत्र नहीं लगे हुए हैं वह उद्योग बन्द हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट है या तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें या इस पर चर्चा करा दें ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने बताया कि एन०ओ०सी० पहले दिया जाता है जो इकाईयां बन्द है जब वह चालू की गई थीं तो क्या उसके बीच में उनका अन्तिम निरीक्षण पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया था ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, पर्यावरण विभाग जांच करता है । जब शुद्धीकरण संयंत्र लगा होता है तब उद्योग चलता है । अगर कोई कमी पाई जाती है तो जांच की जाती है और कार्यवाही की जाती है । अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी कहीं की है तो वह दे दें, उसकी जांच कराकर एक्शन लिया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एन०ओ०सी० जो दी जाती है जब कोई यूनिट अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट को देखकर एन०ओ०सी० दी जाती है परन्तु जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी उसे देखते हैं । उसके बाद प्रतिवर्ष कन्सेन्ट दी जाती है । यदि शुद्धीकरण प्लान्ट नहीं लगाया जाता है तो गारन्टी का प्राविधान है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह शुद्धीकरण प्लान्ट कितने दिनों में लगा रहे हैं ? यदि नहीं लगा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं फाल्ट है यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं इसमें पर्याप्त उत्तर आ गया है लेकिन यदि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो दूसरे पहलू पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो उत्तर आया है उसमें विरोधाभाष है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न में काफी समय लग गया है यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं और वह चाहते हैं इसलिए इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप रहा हूं जहां इसका विस्तार से परीक्षण हो जायेगा ।

नत्थी ग

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजधारी सिंह–

[मंत्रि-परिषद में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

प्रदेश के जनपदों में कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की स्थानान्तरण नीति एवं सत्र के मध्य किये जाने वाले स्थानान्तरण का औचित्य

*2–श्री राम औतार शाक्य

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपदों में कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या यह सच है कि आई०पी०एस० कैडर के उक्त कई अधिकारियों के स्थानान्तरण वर्ष 1999 के मध्य सत्र में 6 माह की अवधि में ही कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

शासन की स्थानान्तरण नीति शासनादेश संख्या–1/3/96–का–4–1999 दिनांक 08-04-99 द्वारा निर्धारित है ।

कतिपय आई०पी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण मध्य सत्र में किये गये हैं ।

प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित में यह स्थानान्तरण किये गये हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चाहे आई०पी०एस० या आई०ए०एस० अथवा अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का प्रश्न हो विकास तो नहीं किया जा रहा है लेकिन इस सरकार ने स्थानान्तरण उद्योग जरूर बना रखा है । सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि और उत्तर में बताया है कि कतिपय आई०पी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण मध्य सत्र में किये गये हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मध्य सत्र, छः महीने के अन्तराल में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण किया गया और उनके स्थानान्तरण पर कितना व्यय भार आया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 64 अधिकारी ऐसे हैं जिनका छः महीने में स्थानान्तरण किया गया है । जहां तक व्यय भार का प्रश्न है तो इस संबंध में बिल बनकर आते हैं तभी कितना व्यय हुआ मालूम होगा, इसलिए इस समय व्यय भार बताना संभव नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस शासनादेश का उन्होंने हवाला दिया है वह शासनादेश क्या है, यदि मंत्री जी बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें जो मुख्य बिन्दु हैं वह मैं बता रहा हूं । इसमें 8 अप्रैल, 1999 का शासनादेश है जिसे कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है । इसमें स्थानान्तरण नीति का उल्लेख किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी केवल मुख्य अंश बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें विभागीय स्तर के कार्मिकों का स्थानान्तरण 15 मई, 1999 तक, मण्डल स्तर के कार्मिकों का स्थानान्तरण 31 मई, 1999 तक तथा जिला स्तर के कार्मिकों का स्थानान्तरण 15 जून, 1999 तक पूर्ण हो जायेंगे यह प्रतिबद्धता है । प्रशासनिक आधार और जनहित में स्थानान्तरण करना है तो प्रक्रिया बदल दी गयी है । समूह "ख" के अधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित विभाग के मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा । इसी के पैरा–8 में यह उल्लेख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जनहित में कभी-कभी किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किये जाने का आदेश दे सकेंगे । यह माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषाधिकार है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर इस कैडर के अधिकारी 3-4 वर्षों से बैठे हुए हैं ? क्या वह आपके स्थानान्तरण नीति में नहीं आते हैं ? जनपद बहराइच में एडीशनल एस०पी० विगत 7 साल से हैं, वह किन कारणों से वहां है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह नीतिगत प्रश्न है । अधिकारी विशेष का उत्तर तो नहीं दिया जा सकता ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या कोई कार्यकाल निर्धारित है कि वह कितने अवधि तक रहेंगे ? इसका उत्तर आ जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो स्थानान्तरण नीति 8 अप्रैल, 1999 का है इसमें कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कोई अवधि निर्धारित नहीं है कि इतने दिन में स्थानान्तरण होना आवश्यक है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रश्न है । इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है और शासनादेश भी स्पष्ट है । लेकिन कदाचित यह अनुभव किया जा रहा है कि जो ईमानदार और सख्त अधिकारी हैं जो अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं, राजनीतिक कारणों से उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 6 महीने में कितने लोगों का स्थानान्तरण किया गया । जनपद प्रतापगढ़ में एक वर्ष में 6 पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण मात्र इसलिए हो गये कि अपराधी तत्व के लोगों पर जब लगाम लगायी गयी तो प्रदेश सरकार के सत्तारूढ़ नेताओं में हड़कम्प मच गयी । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि किसी एक जनपद में एक वर्ष में 6 पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं तो माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके पीछे जनहित क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

पूर्व में ही स्पष्ट किया है जनहित और शासकीय हित में ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है और जो स्थानान्तरण नीति है उसमें विशेष रूप से प्राविधान है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने सीधा सवाल पूछा है कि जनहित क्या है, एक वर्ष में 6 पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर हुये हैं वह जनहित में हुये हैं या अपराधी हित में हुये हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रशासनिक कारणों से जनहित में हुये हैं ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले आई०पी०एस० अधिकारी का ठहराव एक जिले में 2-3 साल हुआ करता था और जनहित व अपराधियों पर नियंत्रण रहता था । आज हरिद्वार जनपद में पिछले एक साल में दो-दो महीने में एस०पी० के ट्रांसफर कर दिये गये हैं । नतीजा यह हो रहा है कि अपराध इतना बढ़ रहा है कि एक हफ्ते में दो मर्डर डे–लाईट में हो गये हैं । जो स्थानान्तरण किये गये क्या जनहित में किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

अपराधों को नियंत्रित करना ही जनहित है । यह जनहित देखते हुए कौन अधिकारी कहां अधिक प्रभावी होगा इसी आधार पर स्थानान्तरण किये गये हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, 6 महीने में 64 आई०पी०एस० ट्रांसफर किये गये । ऐसे कितने अधिकारी है जो 15 दिन से 2 महीने के अन्दर हटाये गये ?

श्री अधिष्ठाता–

यह बहुत विस्तृत प्रश्न है । अगर माननीय मंत्री जी के पास संभव हो भी तो 64 अधिकारियों की सूचना पढ़ने में समय नष्ट होगा । यदि मंत्री जी चाहे तो उत्तर दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

कुल मिलाकर 1999 में 312 तबादले हुए । एस०पी०, एस०एस०पी० कैडर के 199 अन्य उच्चाधिकारियों के 83 और एडिशनल एस०पी०, आई०पी०एस० के 30 तबादले हुए । एक महीने के अन्दर 39 आई०पी०एस० के तबादले हुये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अप्रैल 99 के शासनादेश की जानकारी दी । जिस प्रकार मुगल काल में 5 वर्ष, अंग्रेजी काल में 3 वर्ष में स्थानान्तरण होता था इसी प्रकार क्या यह सरकार कोई समय निर्धारित करेगी इन तबादलों की ?

श्री हुकुम सिंह–

कोई भी अधिकारी जनहित में रहता है, जब जनहित की उपेक्षा होगी तो हटा दिया जायगा । मुगलकाल में यही रहे होंगे और उस काल में आई०पी०एस० होते थे या नहीं, इन्हीं को जानकारी होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं गुप्त साम्राज्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि अपराधियों की सहूलियत के लिए जनहित का नाम लेना बन्द करेंगे ।

प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग के निर्धारित मानक

*3-श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त विभाग के 19 मार्च, 1997 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग के मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मानकों के अनुसार प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिवों को एक से अधिक वाहनों के प्रयोग की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*4–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शस्त्र लाइसेन्सों को जारी करने की शासन की नीति एवं उसके अन्तर्गत औपचारिकताओं का विवरण

*5–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शस्त्र (असलहों) के लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और उसके अन्तर्गत कौन-कौन औपचारिकतायें पूर्ण करायी जाती हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सों के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रक्रियात्मक नीति निर्देश समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को प्रसारित किये गये हैं ।

उक्त निर्देशों के अनुसार प्रमुख औपचारिकताओं के रूप में पुलिस एवं तहसील से जांच की कार्यवाही एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किये जाने तथा उसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जांच आख्याओं के साथ आवेदक की उपयुक्तता एवं शस्त्र की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् परीक्षणोपरान्त शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जिलाधिकारी कार्यालय में हजारों संख्या में प्रार्थना पत्र लम्बित पड़े हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने मूल उत्तर में ही इस बात का उल्लेख किया है कि यह जिलाधिकारी का विवेक है कि सारी औपचारिकतायें पूरी होने के बाद उसका परीक्षण करायेंगे और जनपद की आवश्यकतानुसार ही उसको देंगे । औपचारिकतायें पूरी हो गई है, और यह भी सही है कि अनेक जनपदों में बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र लम्बित हैं । इसके कारणों में हमें पीछे जाना होगा । पिछली कुछ सरकारों ने लाइसेंस देने टोटल बन्द कर दिये, स्वाभाविक है कि संख्या बढ़ेगी और कुछ ऐसी सरकारें आयीं कि कुछ जनपदों में लाइसेन्स देने की भरमार कर दी । इसलिये अब स्थिति यह है कि समन्वय प्रयास करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में इसी सदन में 1998 में एक घोषणा की गई थी । हमारा यह प्रयास है कि जहां लाइसेन्स की आवश्यकता है , वहां समय के अन्दर दे दिया जाये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उक्त निर्देशों के अनुसार प्रमुख औपचारिकताओं के रुप में पुलिस एवं तहसील से जांच की कार्यवाही एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किये जाने की बात है तो क्या मंत्री जी इसके लिए कोई एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करेंगे ? दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया जाना चाहिए या फिर उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए तो क्या माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि समस्त औपचारिकतायें पूरी होने के बाद उस प्रकरण का निस्तारण या तो हां में होना चाहिए या नहीं में ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक शासनादेश 3 जून, 1998 को निर्गत किया गया था जिसमें समयावधि निर्धारित की गयी थी कि 3 माह के अन्दर निस्तारण हो जाना चाहिए । निचले स्तर पर जहां से आख्या प्राप्त की जाती है उनके लिए भी समय निर्धारित किया गया था और एक सुनिश्चित कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि घोषणा का अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा है और उसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, हमने जो मार्ग निर्देश/आदेश दिया है उसमें समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया है और एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाय जिससे कि प्रकरणों का निस्तारण समय से हो जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, एक लाइसेंस लेने में एक व्यक्ति को 10–20 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है और एक लम्बे चैनल से उसे गुजरना पड़ता है तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सरलीकरण करेंगे ? दूसरा आपने कहा कि डी०एम० के विवेक पर है कि इतने लाइसेंस स्वीकृत कर दिये गये । क्या जिलों में उसका निर्धारण किया गया है कि प्रत्येक जिले में कितने लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे ? अगर नहीं किया गया है, तो डी०एम० का विवेक भी सिद्धान्त पर आधारित होगा । छः महीने के बाद डी०एम० उसे

वेरीफिकेशन के लिए भेज देता है जिससे फिर से एक लम्बी प्रक्रिया चालू हो जाती है तो क्या एक समयावधि जिसे आपने छः महीने कहा है इसे बढ़ाकर एक साल के अन्दर दुबारा वेरीफिकेशन नहीं कराया जायेगा इसका निर्देश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो 10 15 हजार रुपये की बात कही गयी है मेरे ख्याल से जितने भी असलहे हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गयी है तो जो लाइसेंस लेगा उसे तो खर्च करना ही पड़ेगा, राइफल और बन्दूक की कीमत बहुत ज्यादा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 10 15 हजार रुपया असलहा खरीदने में नहीं बल्कि लाइसेंस प्राप्त करने में खर्च होता है यह जो व्यावहारिक कठिनाई है, वह बता रहे हैं । लाइसेंस प्राप्त करने में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है ?

श्री हुकुम सिंह–

लाइसेंस की तो कोई कीमत नहीं है । नियमों में जो प्राविधान है और जो हमने उनके मार्ग दर्शन के लिये प्रक्रिया निर्धारित की है उसमें कोई पैसा खर्च करने का प्राविधान नहीं है । यह केन्द्रीय अधिनियम है और यह अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है । सारे का सारा करना सरकार के लिये सम्भव नहीं हो पायेगा । हमने तो एक प्रयास किया था । जिलाधिकारी को जिलाधिकारी की हैसियत से केन्द्रीय अधिनियम में अधिकार प्राप्त है अगर वह अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता है या गलत इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं । 98 में हमने प्रयास किया था उसका लाभ हुआ है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

यह लगभग विदित है कि पूरे प्रदेश में अवैध कट्टे और असलहों की भरमार है उससे जगह जगह पर लोगों के जीवन को खतरा है । इस तरह के खतरे और डकैतियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस देने का प्राविधान किया गया । सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद प्रार्थना पत्र डी०एम० के पास पहुंच जाता है । यह सर्वविदित है कि निचले स्तर पर संस्तुति करने पर थाना, चौकी और उससे ऊपर अवैध रुप से पूजा चढ़ानी पड़ती है । उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया होकर जिलाधिकारी के यहां आवेदन पहुंचता है तो वह लम्बित रहता है और छः महीने की अवधि बीत जाने पर पुनः परीक्षण के लिये वापस भेज दिया जाता है । मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को और इस परिस्थिति को संज्ञान में रखते हुए कोई समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि अगर रिपोर्ट पक्ष में समय के भीतर पहुंच जाय तो उसका समयावधि में निस्तारण करेंगे ? अगर कोई विशेष कारण न हो तो समयावधि में उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में दो बातें कही हैं । शस्त्र के लाइसेंस दिये जाने की एक सीमा भी डी०एम० को स्वविवेक से निर्धारित करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि जितने के लिये आये उतनों की जांच कराकर लाइसेंस दे दिये जायं । दूसरी बात आपने यह कही कि यह अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक केन्द्रीय अधिनियम है । माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किया है वह यह है कि जो छः महीने की पुलिस जांच की अवधि निर्धारित है यदि उस अवधि में रिपोर्ट आ जाती है और लाइसेंस नहीं दिया जाता है तो कम से कम उस सम्बन्ध में संबंधित व्यक्ति को सूचना तो मिली जानी चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह जो अवधि हमने दी थी, जिसका जिक्र हमने किया । तीन महीने की अवधि दी थी । सरलीकरण की बात भी उठाई गई है । सरलीकरण भी किया है । प्रक्रिया में सरलीकरण कर सकते हैं वह किया है । हमने चैनेल्स को समाप्त किया है, बीच वाली कड़ी को समाप्त किया है । पहले दरोगा, सी०ओ० को और सी०ओ०, एडिशनल एस०पी० को और एडिशनल एस०पी०, एस०पी० को भेजता था । यह चार चैनेल थे । हमने इसे समाप्त करके यह कर दिया कि स्थानीय पुलिस थाने के बाद सी०ओ० के यहां से सीधे डी०एम० को जायेगा । मान्यवर, जो कई कड़ी थीं उनको कम किया है ताकि आम आदमी को परेशानी न आए । एक बात आई कि 6 माह की अवधि हो जाय तो प्रार्थना पत्र रखा रहे और उसे जानकारी न हो जिसने प्रार्थना पत्र दिया तो संबंधित बात में निर्देश दिए गए हैं, स्पीकिंग, आर्डर करके इसका निस्तारण किया जाए ।

श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

मान्यवर, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर जिलाधिकारी को लाइसेंस बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री बी०आर०वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हुकुम सिंह–

जिलाधिकारी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य करते हैं ।

[illegible] इनामी अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस /पी०ए०सी० कर्मियों के आश्रितों को दिये जाने वाले आर्थिक सहायता आदि का विवरण

*6–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुख्यात इनामी अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस कर्मियों को सेना के सिपाहियों/अधिकारियों की भांति पुरस्कार तथा अगला प्रमोशन एवं मुठभेड में शहीद पुलिस, पी०ए०सी० कर्मियों/अधिकारियों को सैनिकों के समान नगद धनराशि, आवासीय भूखण्ड, कृषि योग्य भूमि आदि की सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा दंडित कराने के लिए सूचना देने पर नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है । जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय पुलिस/पी०ए०सी० के अधिकारियों/कर्मचारियो की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को श्रेणीवार क्रमशः रु० 2,00,000, 1,60,000, 1,20,000 तथा 80,000 की अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की जाती है तथा नियमानुसार असाधारण पेंशन एवं सेवायोजन का लाभ भी प्रदान किया जाता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आतंकवाद प्रभावित 11 जनपदों में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में मृत्यु होने पर पुलिस/पी०ए०सी० कर्मियों के आश्रितों को बिना श्रेणी एवं भेदभाव के रु० एक लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले अराजपत्रित पुलिस/पी०ए०सी० कर्मियों को बिना बारी (आउट आफ टर्न) निः संवर्गीय पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा घटना में विशिष्ट साहसिक कार्य करने वाले पुलिस/पी०ए०सी० कर्मियों को वीरता पुलिस पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है ।

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं० 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

पुलिस/पी०ए०सी० कर्मियों को आवासीय भूखण्ड तथा कृषि योग्य भूमि आदि दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेना के सिपाहियों/अधिकारियों तथा पुलिस/पी०ए०सी० के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कार्यक्षेत्र एवं दायित्व भिन्न भिन्न होने के कारण सेना के सिपाहियों/अधिकारियों से समानता रखने का औचित्य नहीं है ।

प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पम्पों पर डिलीवरी में अनियमितता बरतने पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का प्राविधान

*7–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पम्पों पर की जा रही घटतौली तथा मिलावट की रोकथाम के लिये किसी कार्य योजना को बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री(चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सही माप में पेट्रोल/ डीजल की डिलीवरी दिये जाने हेतु मानक वाट माप प्रवर्तन अधिनियम 1985 के अन्तर्गत अनियमितताएं पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है । अतः पृथक से किसी प्रकार की कोई कार्ययोजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फैजाबाद स्थित सहकारी शीतगृह रौनाही में किसानों के आलू सड़ने पर मुआवजा दिये जाने की मांग

*8–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सहकारी शीतगृह, खिरौनी, सोहावल में किसानों का वर्ष 1997 में 80 हजार बोरा आलू सड़ गया था ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी वर्ष 1997 में फैजाबाद स्थित सहकारी शीतगृह रौनाही में किसानों का 16,382 बोरा आलू सड़ गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री नरेन्द्र सिंह–

(12वें मंगलवार में ता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ० प्र० लखनऊ द्वारा किये जाने का प्राविधान

*10–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कराये जाने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी संस्थाओं का लेखा-परीक्षण, महालेखाकार वाणिज्यिक स्तर से कराये जाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 (1) के अन्तर्गत निर्णय उ०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या–9166-सी.12 सी०ए०–5(3)/70, दिनांक 29-3-71 द्वारा प्राधिकृत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ० प्र० लखनऊ द्वारा की जाती हैं।

पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच हेतु जांच आयोग गठित करने की मांग

*11. डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्व० पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच हेतु सरकार किसी जांच आयोग के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं।

घटना की तत्समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करायी जा चुकी है। प्रकरण 32 वर्ष पुराना है। अब जांच आयोग गठित करने से कोई नये तथ्य प्रकाश में आने की संभावना नहीं है।

जनपद सन्त रविदास नगर में कोनिया धनतुलसी से ज्ञानपुर वाया वाराणसी की बन्द बस सेवा का पुनः संचालन

*12. श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में कोनिया धनतुलसी से ज्ञानपुर वाया वाराणसी एवं इलाहाबाद तथा विन्ध्याचल को छूटने वाली बसें तथा गोपीगंज ज्ञानपुर सीतागढ़ी धनतुलसी तक चलने वाली नगर बसों को वर्ष 1998-99 से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन बसों को पुनः संचालित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें संचालित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

सन्त रविदासनगर में कोनिया, धनतुलसी से ज्ञानपुर, वाराणसी के लिए एक बस संचालित थी जो निम्न स्तरीय लोड फैक्टर के कारण बन्द कर दी गयी। इसे जिलाधिकारी के सुझाव पर 25-4-2000 से पुनः संचालित कर दिया गया है। वर्ष 1998-99 में कोनिया, धनतुलसी से इलाहाबाद तथा विन्ध्यांचल के लिए एवं धनतुलसी से गोपीगंज, ज्ञानपुर, सीतागढ़ी तक कोई नगर बस सेवा पूर्व में संचालित नहीं की गई। अतः बन्द होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु उपाय

*13–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलहन, तिलहन, आटा, तेल और नमक की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं दलहन, तिलहन, आटा तेल और नमक के मूल्य सामान्यतः स्थिर है । खाद्य तेलों में रिफाइण्ड तेल एवं वनस्पति के मूल्य में कमी हुई है तथा दाल दलहन के मूल्य भी स्थिर हैं ।

प्रदेश में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु निम्न उपाय किए गए :–

(1) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से माह मार्च, 1999 में खाद्य तेलों/दालों की स्टाक सीमा निर्धारित की गयी है ।

(2) खाद्य तेल की प्रदेश में उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 5,000 मी० टन पामोलीन तेल का आवंटन प्राप्त किया और पामोलीन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया ।

(3) प्रदेश के जिलों में निर्माताओं एवं व्यापार संगठनों से रिटेल काउन्टर खुलवाए गए जहां से सरसों का तेल तथा अरहर की दाल बाजार भाव से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई ।

(4) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से गेहूं/चावल का अतिरिकत आवंटन प्राप्त किया गया तथा उपभोक्ताओं को 10 कि०ग्रा० अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह ए०पी०एल० दरों पर उपलब्ध कराया गया ।

(5) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्यों की स्थिति की दैनिक समीक्षा विभाग स्तर पर की जाती है तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "अनुश्रवण समिति" द्वारा समीक्षा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14 श्री बी० आर० वर्मा–

(5वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

प्रदेश में थानाध्यक्षों की नियुक्ति, उप निरीक्षकों की वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर करने का प्रतिबन्ध

*15–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु थानाध्यक्षों की नियुक्ति उपनिरीक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर किये जाने हेतु विचार करेंगे ? यदि हां, तो आदेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्षों की नियुक्ति केवल वरिष्ठता सूची के आधार पर नहीं बल्कि उपलब्ध निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर की जाती है ।

झांसी मण्डल के जालौन व झांसी जनपदों में पुलिस को स्वचालित अस्त्र-शस्त्र सुविधा प्रदान करने की मांग

*16-श्री श्रीराम पाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल के जालौन व झांसी जनपदों में दस्यु गिरोहों के आतंक को समूल नष्ट करने हेतु क्या सरकार अत्याधुनिक एवं स्वचालित अस्त्र तथा बुलट प्रूफ मोटर गाड़ियां पुलिस बल को उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

जनपद जालौन व झांसी में स्वचालित अस्त्र-शस्त्र पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं । सम्प्रति बुलट प्रूफ मोटर गाड़ियां उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*17-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[5वें मंगलवार में ता० प्र० सं०-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती के रामानन्द सिंह की पुत्री गीता की ससुराल में हुई हत्या के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

1-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या मा० मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा० श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् एवं सभापति, प्रश्नों का क्रम निर्धारण समिति, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 1 मार्च, 2000 जो जनपद बस्ती के अन्तर्गत 15 फरवरी, 2000 को दहेज लोभियों द्वारा जहर देकर लड़की की हत्या ससुराल में किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य विन्दु क्या थे ? उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? जांच किस थाने द्वारा किस उच्च अधिकारी से करायी गयी ? अभियुक्तों एवं लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां ।

पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1-श्री रामानन्द सिंह की पुत्री गीता को ससुराल में सास एवं देवर द्वारा जहर देकर मार दिये जाने एवं लाश गायब करना ।

2-नामजद एफ०आई०आर० लिखवाने पर भी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके धन के लालच में छोड़ दिया गया ।

3-प्रार्थी एवं उसके लड़कों से सादे पेपर पर डरा धमकाकर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कराया जाना ।

4-उक्त हत्या प्रकरण की जांच सी०आई०डी० द्वारा कराया जाना ।

5-नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करने एवं केस की विवेचना किसी अन्य थाने से करायी जाय ।

मामले में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच की जा रही है ।

अंतिम जांच आख्या के आधार पर ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर में दर्ज मु०अ०सं०–239/99 में अभियुक्तों एवं पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

2–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के थाना–मोतीपुर के ग्राम–बुद्धूपुरवा/कुड़वा, निवासी–10 वर्षीय कुमारी सन्नो बानो पुत्री श्री फारुख खान की दिनांक 26-9-1999 को दिन दहाड़े बलात्कार कर हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 5-10-1999 को उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कब्र से उसकी लाश निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाया गया था तथा दिनांक 2-11-1999 का मु० अ० सं०–239/99 धारा–376/302 भा० दं० वि० दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था तथा घटना को नजरन्दाज करने वाले दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 2-11-1999 को मु०अ०सं०–239/99 धारा 376/302 भा०दं०वि०, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री उसमान नामित एक मात्र अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया । घटना को नजरन्दाज करने वाले दोषी थानाध्यक्ष को थानाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है तथा उन्हें परनिन्दा प्रविष्टि एवं सत्यनिष्ठा रोकी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ग्राम गांधी नगर के कतिपय लोगों द्वारा पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

3–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को सम्बोधित अनुराग सिंह एवं अन्य व्यापारीगण ग्राम–गांधी नगर, जनपद–रायबरेली का दिनांक 20-2-2000 का फैक्स जो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित तथा जिसमें कोतवाली जायस के कुछ गैर हल्का पर तैनात सिपाहियों द्वारा बाजार में आतंक फैलाने, अश्लील हरकतें करने, अवैध वसूली करने की शिकायत से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायत में आरोपित दोषी सिपाहियों को तैनाती इसी हल्के में पुनः कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त आरोपित सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ में लखनऊ महानगर बस सेवा का संचालन तथा अतिरिक्त कर एवं मार्ग कर न जमा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस

4–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत माह मई, 1999 से लखनऊ महानगर बस सेवा का संचालन नगर बस ओनर्स ऐसोशिएशन लखनऊ के माध्यम से कराया गया है ? मार्ग संख्या–एक नादरगंज से चिनहट, मार्ग संख्या दो चारबाग से मुंशी पुलिया, मार्ग सं०–3 व 4 राजाजीपुरम् से पी०जी०आई० तथा चारबाग से दुबग्गा पर वर्तमान समय में कितनी बस को नगर परमिट दिया गया है ? क्या उक्त सभी नगर बसों का यात्रीकर व मार्गकर माह मई, 1999 से फरवरी,

2000 तक जमा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर न जमा करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

मार्ग संख्या–1 पर 152, मार्ग संख्या–2 पर 60, मार्ग संख्या–3 पर 50 तथा मार्ग संख्या–4 पर 22 बसों का कुल 293 बसों को नगर परमिट दिया गया है।

माह मई, 1999 से फरवरी, 2000 तक 178 बसों से अतिरिक्त कर/मार्गकर जमा करा लिया गया है। शेष 115 बसों के वाहन स्वामियों द्वारा फरवरी, 2000 तक अतिरिक्त कर/मार्गकर जमा नहीं किया गया है, जिन्हें संगत प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस भेजी गयी है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर ली गयी है।

5–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत संचालित महानगर बसों की सेवा का संचालन मार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बसों को लेटिंग पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा एक सौ रुपये का आर्थिक दण्ड वसूल किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो माह मई, 1999 से 20 मार्च, 2000 तक कितना जुर्माना किस वाहन व परमिट संख्या से कब-कब कितना-कितना वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण लखनऊ की बैठक दिनांक 21-4-99 में लिए गये निर्णय के अनुसार सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा विलम्ब से चलने वाली नगर बसों से रु० 100/- प्रशमन शुल्क मौके पर ही वसूल किये जाने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिये गये थे।

विलम्ब से चलने वाली 229 नगर बसों के चालान किये गये तथा मौके पर 45 बसों से रु० 4350/- जुर्माना वसूल किया गया। बसों की पंजियन संख्या व जुर्माना वसूली की तिथि के संबंध में नगर बसों की सूची संलग्न† है।

6–डा० ज्ञानवती सिंह–

15वें बुधवार में अता० प्र० सं०–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, वित्त, फैजाबाद को क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर कथित प्रोन्नति

7–श्री राम विशुन आजाद–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, वित्त, फैजाबाद को क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर शासन द्वारा पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दि० 13-3-1999 द्वारा यह आदेशित किया गया है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, वित्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत नहीं की जा सकती हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गई।

मथुरा रिफाईनरी की सुरक्षा तथा कच्चे तेल का अवैध निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

8. श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रिफाईनरी की सुरक्षा तथा कच्चे तेल का अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक, विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम-313(X)/ मथुरा/2(XX), दिनांक 15-2-2(XX) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को पत्र भेजा जा चुका है तथा उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गयी है जो प्रतीक्षित है ।

अवैध रूप से पंजीकृत संस्थाओं को डिप्लोमा या सर्टीफिकेट देने सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में नियम

9. श्री उदयराज यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में क्या ऐसा प्राविधान है कि पंजीकृत संस्थायें अपने उद्देश्य और कर्तव्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के पश्चात् डिप्लोमा या सर्टीफिकेट प्रदान नहीं कर सकती ? क्या इस संबंध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा या सर्टीफिकेट प्रदान करने अथवा न करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट के ग्राम रतनपुरा निवासिनी श्रीमती सफीना देवी पत्नी स्व० नईमुल्लाह एवं उनके परिवार की जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर जांच

10. श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील खंजनी थाना बेलघाट के ग्राम रतनपुरा निवासिनी श्रीमती सफीना देवी पत्नी स्व० नईमुल्लाह व उनके परिवार की जान-माल की सुरक्षा हेतु रजिस्टर्ड पत्र सं०–1697 दि० 17-1-2000 तथा प्रश्नकर्ता व मा० सदस्य श्री बेचनराम के पत्र माह फरवरी, 2000 से 10 मार्च, 2000 तक की अवधि में प्रमुख सचिव तथा मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मामले की जांच करायी गयी जिसमें यह प्रकाश में आया कि श्रीमती मीना पुत्री श्री परमहंस गोरखपुर द्वारा किसी प्रकार की जानमाल की धमकी आवेदिका को नहीं दिया गया है । श्री परमहंस का परिवार जनपद वाराणसी में रहता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की तहसील खंजनी, थाना बेलघाट के ग्राम रतनपुरा निवासी श्री सुभान अली पुत्र श्री शेखफल्ली अली के मकान पर कथित कब्जा की जांच

11–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील खंजनी थाना बेलघाट के ग्राम रतनपुरा निवासी श्री सुभान अली पुत्र स्व० श्री शेखफल्ली अली के मकान पर श्री सोमनाथ मिश्र पुत्र स्व० श्री गंगा प्रसाद मिश्र, देवेन्द्र मिश्र पुत्र स्व० तारा मिश्र द्वारा जबरिया कब्जा किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता एवं मा० श्री बेचनराम विधायक द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र माह फरवरी, 2000 से 10 मार्च, 2000 तक की अवधि में प्रमुख सचिव तथा मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्रों पर जांच करायी गई । जांच से श्री शोमनाथ मिश्र पुत्र स्व० श्री गंगा प्रसाद मिश्र, देवेन्द्र मिश्र पुत्र स्व० तारा मिश्र द्वारा जबरिया कब्जा किये जाने की बात सत्य नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में थाना बदौसा के निवासी श्री राम प्रसाद केवट पुत्र श्री कृष्ण की हुई हत्या की जांच के सम्बन्ध में

12–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को सम्बोधित श्रीमती संगीता निषाद पत्नी श्री सुनील निषाद निवासी कटरा पश्चिम, शहर बांदा का पत्र दिनांक 1-10-1999, जो श्री राम प्रसाद केवट पुत्र श्री कृष्ण निवासी बदौसा थाना बबौसा की हत्या में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच थानाध्यक्ष, बदौसा से करायी गयी । जांच से प्रथम दृष्टया आवेदिका के पिता मृतक राम प्रसाद केवट, नि० बदौसा द्वारा स्वयं विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या, किया जाना पाया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई जाहिर चोट नहीं पायी गयी । डाक्टर के परामर्शानुसार दिनांक 7-4-2000 को विसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान–प्रयोगशाला, आगरा प्रेषित की गयी है ।

प्रश्नगत नहीं उठता ।

प्रदेश में राष्ट्रीय बचत विभाग में सृजित कुल पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति न किये जाने का औचित्य

13–श्री मस्तराम–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बचत विभाग में संवर्गवार कुल कितने पद सृजित हैं ? सृजित पदों के विरुद्ध कितने पद श्रेणीवार रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर पदोन्नतियां विभाग द्वारा न किए जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पदोन्नतियां विभाग द्वारा कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

राष्ट्रीय बचत विभाग में सृजित कुल 684 पदों का विवरण संलग्न है।

विभिन्न संवर्गों में सृजित पदों के विरुद्ध श्रेणी "क" में 11 पद, श्रेणी "ख" में 44 पद, श्रेणी "ग" में 79 पद तथा श्रेणी "घ" में 18 पद रिक्त हैं।

कतिपय पद ऐसे हैं, जिन पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली के अनुसार अर्हता प्राप्त कर्मी उपलब्ध नहीं है।

कतिपय पदों पर सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् पदोन्नति करना सम्भव हो सकेगा।

विभाग द्वारा नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 76 पर।)

उ० प्र० परिवहन निगम में संविदा पर रखे परिचालकों को नियमित किये जाने की मांग

14–श्री समर पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० परिवहन निगम में विगत कई वर्षों से परिचालक (संविदा) के पद पर रखे गये अभ्यर्थियों को दिया जा रहा पारिश्रमिक क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम के मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन परिचालकों को नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

संविदा पर रखे परिचालकों को नियमित किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद फैजाबाद के थाना नगर कोतवाली में मु० अ० सं०–876/97 का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

15–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-4-1997 को अ०सं० 876/97 अन्तर्गत धारा–409/419/420/467/471 भा० द० वि० थाना कोतवाली नगर, फैजाबाद में अंकित कराई गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस प्रकरण में प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक फैजाबाद श्री ए०पी० सिंह एवं मेसर्स रामचन्द्र, राधेश्याम जायसवाल के मालिक रामचन्द्र जायसवाल की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मुकदमें में विवेचनोपरान्त अभियुक्त सत्यदेव मिश्र पुत्र श्री जगदेव मिश्र निवासी बेगम गंज मकबरा थाना कोतवाली नगर, फैजाबाद के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

जी नहीं।

मामले में इनकी कोई भूमिका नहीं रही है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में थाना रिफायनरी के पोहपी निवासी श्री पूरन सिंह की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही का विवरण

16–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पूरन सिंह, निवासी पोहपी भाग लाड़पुर थाना रिफायनरी तहसील व जिला मथुरा की जानमाल की सुरक्षा करने विषयक, विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी० एम०/वि० को०/एम–31472/मथुरा/2000,दिनांक 17-2-2000 जिलाधिकारी,*मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

संदर्भगत पत्र पर थाना रिफायनरी, मथुरा पर दिनांक 26-2-2000 को मु०अ०सं०–44/2000 धारा 447/506 भा०दं०वि० बनाम हरविलास पुत्र लटूर एवं लक्ष्मण पुत्र जगनी निवासी नगला पोहपी, थाना रिफायनरी पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी । अभियुक्त लक्ष्मण को दिनांक 22-3-2000 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त हरविलास द्वारा दिनांक 28-3-2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया । उक्त मुकदमें में आरोप-पत्र सं०–31 दिनांक 29-3-2000 को प्रेषित किया । अभियुक्त हरविलास के विरुद्ध अ०सं०–47/2000 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही दिनांक 26-3-2000 को की गयी अभियुक्त हरविलास एक हिस्ट्रीशीटर है जिसका नम्बर–11ए है व इसके विरुद्ध अपराध सं०–27/2000 में धारा 110 द०प्र०सं० की दिनांक 29-2-2000 को तथा 151/107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही दिनांक 24-2-2000 को की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 24-4-2000 को अता०प्र०सं०–6 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मिर्जापुर के जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री/प्रवक्ता श्री शशि भूषण दूबे की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र पर जांच कार्यवाही

18–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री/प्रवक्ता श्री शशि भूषण दूबे पथिक का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को दिसम्बर, 1999 में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने जानमाल की रक्षा की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री शशिभूषण दूबे पथिक, निवासी ग्राम पतुलकी, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र माह दिसम्बर, 99 जिसमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया था, अभिलेखों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ।

जांच से श्री शशिभूषण दूबे को कोई गम्भीर खतरा नहीं पाया गया फिर भी सम्प्रति श्री शशिभूषण दूबे का सामान्य प्रबन्धों के अन्तर्गत स्थानीय स्तर से सुरक्षा प्रदान की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पडरौना में थाना खड्डा के परिसर में सीजनल अग्निशमन व्यवस्था

19–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नौरंगियां अन्तर्गत थाना–खड्डा, जनपद पडरौना परिसर में अग्निशमन दल का एक छोटा वाहन अस्थाई तौर पर उपलब्ध है ? क्या आवश्यकता एवं जनहित को देखते हुए खड्डा थाने के उत्तर की खाली अधिग्रहीत भूमि पर अग्निशमन दल (फायर बिग्रेड) की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं, गर्मी के समय फायर सीजन के परिप्रेक्ष्य में एक पम्प व चार कर्मचारी अस्थायी तौर पर वर्तमान में नियुक्त हैं ।

जी नहीं ।

सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में खड्डा के लिए सीजनल अग्निशमन व्यवस्था को उपयुक्त पाया गया है ।

जनपद कानपुर नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०–287/97 में नामित अभियुक्तों का विवरण

20–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर, कोतवाली में पंजीकृत अपराध संख्या–287/1997 धारा–364 आई०पी०सी०, तथा थाना स्वरूप नगर में पंजीकृत अपराध संख्या–199/97 धारा–147/148/149/ 307 आई०पी०सी० में नामित अभियुक्त गण कौन-कौन हैं ? उक्त अपराधों में वांछित अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी चिलौसा थाना–बेवर, जनपद–मैनपुरी को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

थाना कोतवाली, कानपुर नगर में पंजीकृत मु०अ०सं० 287/97 धारा 3(1) गैंगस्टर ऐक्ट संतोष कुमार पुत्र पन्ना लाल नि० 58/13 चुंगी कालोनी, थाना छावनी कानपुर नगर के विरुद्ध पंजीकृत है । धारा 364 भा०दं०वि० का अपराध मु०अ०सं० 287/97 में पंजीकृत नहीं है ।

मु०अ०सं० 199/97 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० के अन्तर्गत नामित अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् है :–

1–श्री उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा पुत्र बाबूराम नि० कम्बा व थाना बेवर, जिला मैनपुरी ।

2–श्री मो० अनीस पुत्र मो० अयूब नि० मैनगेट आफीसर्स कालोनी, रावतपुर, थाना नवाबगंज कानपुर नगर ।

3–श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह नि०–नेहरूहाल के पास, बेवर, जिला मैनपुरी ।

4–श्री मनोज पुत्र कैलास सिंह नि०–मदारपुर, थाना कोतवाली, बाराबंकी ।

5–श्री विकास भदौरिया पुत्र राम बहादुर नि०–41 ए फ्रेण्डस कालोनी, सिविल लाइन, इटावा ।

6–श्री विवेक भदौरिया पुत्र राजबहादुर नि० उपरोक्त ।

7–श्री अजय वर्मा पुत्र दीनपाल सिंह, नि०–सी-28 देवा रोड, कोतवाली उन्नाव ।

8–श्री अतुल सिंह, नि० इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

9–श्री बसन्त जोशी, नि० खुर्रम नगर, अलीगंज, लखनऊ ।

10 श्री भगवान दीन मेहरा पुत्र राजवीर सिंह मेहरा, नि० सेक्टर क्यू, थाना मडियांव, लखनऊ ।

11–श्री राजीव जायसवाल नि० इंदिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ ।

12–श्री ओम पाल सिंह नि० जीटी रोड नाले के पास बेवर मैनपुरी ।

13–श्री मनोज अवस्थी पुत्र विनोद अवस्थी नि० टंकी के पास, बेवर, मैनपुरी ।

उक्त अपराधों में श्री प्रेमपाल पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह नि० चिलौसा थाना बेवर, जनपद मैनपुरी वांछित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पुलिस जर्नल पत्रिका की शासकीय धन से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र का विवरण

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के उपयोगार्थ "उ०प्र० पुलिस जर्नल" पत्रिका की शासकीय धन से क्रय किये जाने हेतु महानिदेशक पुलिस द्वारा परिपत्र संख्या डी०आई०जी० (प्र०)–3/95 दिनांक 14-9-95, 2-12-95 तथा पत्रांक डी०जी०–3–75/96 दिनांक 27-9-96 व बीस–5/96 दिनांक 5-10-96 समस्त पुलिस अधिकारियों को जारी किये गये ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्न में उल्लिखित परिपत्र/पत्र पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी नहीं किये गये अपितु उत्तर प्रदेश पुलिस जर्नल पत्रिका के संबंध में पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय एवं पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से दिनांक 14-9-95, 2-12-95 तथा 5-10-96 को जारी किये गये निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय, उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–बीस-5-96, दिनांक 17-10-96 के द्वारा वापस ले लिये गये थे । मात्र दिनांक 5-10-96 के परिपत्र शासकीय धन से क्रय किये जाने हेतु जारी किया था । दिनांक 27-9-96 का परिपत्र नहीं है बल्कि एक पत्र है जो पुलिस महानिदेशक के उप सहायक ने पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय को लिखा था । दिनांक 17-10-96 के परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त परिपत्रों का परिपालन सुनिश्चित कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के पूर्व विधायक श्री उपदेश सिंह चौहान आदि को शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराये गये गनर/शैडो का विवरण

22–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित, प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपदेश खलीफा पुत्र बाबू सिंह निवासी कस्बा व थाना बेबर एवं प्रेमपाल सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर निवासी चिलौसा, थाना बेबर जनपद मैनपुरी का आपराधिक इतिहास होने के बाद भी वर्तमान सरकार द्वारा गनर/शैडो प्रदान किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश–

श्री उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा, पूर्व विधायक की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए सीमित अवधि के लिए दिनांक 6-10-2000 तक एक गनर की सुरक्षा शासकीय व्यय पर प्रदत्त है । श्री प्रेमपाल सिंह को गनर की सुविधा शासन द्वारा वर्तमान में नहीं प्रदान की गयी है ।

जनपद फैजाबाद के थाना पटरंगा, ग्राम मकदूमपुर पटरंगा मण्डी में प्राचीन शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ने पर आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफ० आई० आर०

23–श्री आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना पटरंगा अन्तर्गत ग्राम मकदूमपुर पटरंगा मण्डी में प्राचीन शिव मन्दिर की मूर्तियां माह मार्च, 2000 में अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने एफ०आई०आर० में आरोपी को पागल करार दिया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ? क्या मेडिकल जांच के बगैर पुलिस को किसी अपराधी को पागल करार दिये जाने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम मिर्जापुर को रामपुर घाट से मनिगढ़ा तथा कोरांव से बनारस तक बस संचालन के सम्बन्ध में पत्र तथा बस संचालन के सम्बन्ध में राज्य परिवहन निगम की नीति

24 डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के मिर्जापुर जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे पथिक का पत्र माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मिर्जापुर को रामपुर घाट से मनिगढ़ा वाया हठिया होकर एवं कोरांव से बनारस वाया बरौधा, बस सेवा संचालन के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों पर बसों का संचालन किया गया ? यदि नहीं, तो रामपुर घाट से मनिगढ़ा एवं कोरांव से बनारस वाया बरौधा के लिये यातायात के लिये कौन सी सेवा संचालित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां । किन्तु उक्त पत्र में कोरांव से बनारस वाया बरौधा बस सेवा संचालन का कोई उल्लेख नहीं है ।

जी नहीं ।

रामपुर घाट से मनिगढ़ा 105 कि०मी० का सम्पूर्ण मार्ग अराष्ट्रीयकृत है तथा कोरांव से बनारस वाया बरौधा मार्ग का कोरांव-माण्डाखास–बरौधा 40 कि०मी० मार्गांश भी अराष्ट्रीयकृत है । अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर नई बस सेवा संचालित न किये जाने की नीति निर्धारित है । अतः निगम द्वारा उक्त अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर बस संचालन सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के थाना गोला में अपराध सं०–273/95 में विवेचनोपरान्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

25–श्री चन्द्रेश पासवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना गोला में अपराध सं० 273/95 धारा 363/366 की सी०बी०सी० आई०डी० से जांच कराने के संबंध में श्री बेचन राम, विधायक का रजि० पत्र दिनांक 17-1-2000 प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अन्य कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के तत्कालीन बिड़ला पुलिस चौकी इंचार्ज के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

26–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन बिड़ला पुलिस चौकी इन्चार्ज, थाना गोविन्दनगर, मथुरा के विरुद्ध जांच विषयक, विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/31377/मथुरा/ 2000 दिनांक 15-2-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा करायी गयी। शिकायतकर्ता श्रीमती सुनीता देवी द्वारा स्वयं तत्कालीन बिड़ला चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक श्री जे०पी० गौर द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने एवं बलात्कार का प्रयास किये जाने की घटना से इंकार किये जाने के कारण तथा उसके पति मानसिंह द्वारा की गयी मार-पीट के दौरान आयी चोटों के कारण जांचोपरान्त मामला उपनिरीक्षक जे०पी० गौर के विरुद्ध नहीं पाया गया। अतः उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति का प्रबन्ध कमेटी को अधिकार

27–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक में नियुक्त तथा स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का अधिकार किस स्तर के अधिकारी को प्राप्त है ? सचिव/प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक को किस स्तर तक के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति का अधिकार प्राप्त है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जिला सहकारी बैंक में नियुक्ति तथा स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का अधिकार बैंक की प्रबन्ध कमेटी में निहित है।

सचिव/प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक को किसी भी स्तर के बैंक के कर्मचारी की नियुक्ति एवं उनकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

जनपद आगरा के थाना सदर बाजार में दर्ज मु०अ०सं०–242/2000 के अन्तर्गत हत्यारों की गिरफ्तारी के निर्देश

28–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना ताजगंज के अन्तर्गत 7 मार्च, 2000 को मिथलेश नामक बिहार की युवती दिगनेर ग्राम के पास नहर के किनारे घायल अवस्था में पड़ी मिली थी ? क्या यह सही है कि उक्त महिला टुन्डपुरा, आगरा नगर निवासी रमेश की पत्नी थी जिसकी मृत्यु 10 मार्च, 2000 को हो गई ? यदि हां, तो क्या मृत्यु से पूर्व उसके बयान किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा

लिये गये थे ? सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जनपद से प्राप्त आख्या के अनुसार युवती का नाम कमलेश था ।

जी हां ।

उक्त महिला को पुलिस द्वारा एस०एन० अस्पताल, आगरा में भर्ती कराया गया जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 9-3-2000 को रात्रि में अस्पताल में मृत्यु हो गयी ।

जी हां ।

मृत्यु से पूर्व अपर मजिस्ट्रेट नगर, आगरा द्वारा मरणासन्न अवस्था में बयान दिनांक 8-3-2000 को अंकित किये गये थे ।

प्रकरण में थाना सदर बाजार, जिला आगरा में मु०अ०सं०–242/2000 धारा 308 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ । विवेचना से अभियुक्त अमर सिंह, निवासी हाथरस व उसके जीजा का नाम प्रकाश में आया है । उक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही

29–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999 में सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार कराया गया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 20-3-1999 को परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

सहायक अभियोजन अधिकारी के उपलब्ध 68 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयन सूची मांगी गयी है । आयोग से चयन सूची प्राप्त हो जाने के बाद तथा सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त यथासमय यथानियम नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में फर्जी स्टाम्पों की बिक्री रोके जाने हेतु शासन की कार्य योजना

30–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पंजीयन तथा मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में फर्जी स्टाम्पों की बिक्री हो रही है और न केवल बैनामा बल्कि बैंक आदि के अभिलेखों में इनका उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या फर्जी स्टाम्पों की बिक्री रोके जाने हेतु क्या कोई कार्य योजना निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश के कुछ जनपदों में फर्जी स्टाम्पों की बिक्री की जानकारी मिली है, पूरे प्रदेश में 'नही' । प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्जी स्टाम्प बैनामों में प्रयोग किये गये हैं ।

जी हां ।

अपर सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा फर्जी स्टाम्पों को पहचानने हेतु एक परिपत्र वर्ष 1991 में समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रेषित किया गया था । इस परिपत्र की प्रति समस्त जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन एवं सब रजिस्ट्रार को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा पुनः प्रेषित की गयी है । अब प्रथम दृष्ट्या ही फर्जी लगने वाले चिपाकाऊ स्टाम्पों व स्टाम्प पेपरों की पहचान करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर ही डाली गयी है एवं यदि वे इसमें विफल होते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी भी दी गयी है । फर्जी स्टाम्पों की पहचान तत्काल करने के उद्देश्य से समस्त रजिस्ट्री कार्यालयों में इस बारे में एक पोस्टर तैयार करके प्रदर्शित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में बेसिक शिक्षक वेतन भोगी कर्मचारी समिति लिमिटेड मौदहा में इसी नाम की कथित रूप में पंजीकृत दूसरी नई समिति

31–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक पंजीकृत सहकारी समिति के कार्यरत रहते इसी के नाम से उसी के कार्य क्षेत्र में दूसरी समिति का पंजीकरण करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो बेसिक शिक्षक वेतन भोगी कर्मचारी सहकारी समिति लि० मौदहा जनपद हमीरपुर उ०प्र० की नई समिति को किस नियम के अन्दर पंजीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि नई समिति द्वारा उसी क्षेत्र में ऋण वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ऋण वितरण में रोक लगा कर पुरानी समिति के हिस्से का रु० 5,37,300.00 वापस दिलाया जायेगा जो विगत चार वर्षों से जिला को-आपरेटिव बैंक महोबा में जमा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

कोई नई समिति एक नाम से इसी कार्य क्षेत्र में पंजीकृत नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के कर्मचारियों को डिपो से प्राप्त लाभांश से वेतन का भुगतान

32–श्रीमती मंजू सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों के कर्मचारियों को शत-प्रतिशत वेतन शासन द्वारा वहन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जलपान गृह के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय पर वर्ष 1988 के पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत तथा निगम के जलपान गृह में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय का भार शासन द्वारा वहन किया जाता है, परन्तु निगम के मुख्यालय पर वर्ष 1988 के पश्चात् सृजित पदों के सापेक्ष तथा निगम के डिपोज में कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय का भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जाता है। इन कार्मिकों का वेतन निगम द्वारा डिपो से प्राप्त लाभांश से दिया जाता है तथा निगम ऐसे कर्मचारियों को अपने संसाधनों से पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने में असमर्थ है।

ऐसी स्थिति में मात्र जलपान गृह के कार्मिकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधा प्रदान करना उचित नहीं होगा। अतः जब तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लाभ में नहीं आता है तब तक पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वोटर लिस्टों की छपाई के भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

33–श्री हरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला निर्वाचन कार्यालय, आजमगढ़ के वोटर लिस्टों की छपाई के भुगतान संबंधी कार्यालय पत्र संख्या 479/निर्वाचन, दि० 26-7-97 के संदर्भ में वर्ष 1995 के देयकों के बारे में ठेकेदार मेसर्स सिगमा प्रिन्टेज लखनऊ के 13 जनवरी एवं 15 मार्च, 2000 के पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ तथा जिलाधिकारी/निर्वाचन कार्यालय, आजमगढ़ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

पत्र में ठेकेदार द्वारा किये गये दावे का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त ठेकेदार के उचित पाये गये सभी देयकों का नियमानुसार भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

जनपद बदायूं के जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा वोटर लिस्टों की छपाई का समुचित भुगतान न किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

34–श्री हरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वोटर लिस्टों की छपाई के भुगतान संबंधी शिकायतों के बारे में जिला निर्वाचन कार्यालय, बदायूं के पत्रांक 114/29–1, दिनांक 7-3-2000 के द्वारा जांच कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ? क्या इस पत्र के क्रम में ही शिकायतकर्ताओं के 14-3-2000 एवं 17-3-2000 के पत्र जिलाधिकारी/निर्वाचन कार्यालय बदायूं एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पत्रांक–114/29–1, दिनांक 7-3-2000 के अन्तर्गत मैसर्स सिग्मा प्रिंटेज, लखनऊ को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिनांक 15-3-2000 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूं के सम्मुख उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। सम्बन्धित फर्म के मालिक अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

जी हां।

जिला निर्वाचन कार्यालय, बदायूं के पंजीकृत पत्रांक–157/29–3, दिनांक 16 मार्च, 2000 के साथ कोषागार चेक सं०–ए०ए०–1898680, दिनांक 13-3-2000 रु० 2,37,035/- मात्र का भुगतान शिकायतकर्ता फर्म को भेजा जा चुका है। रु० 6,878/-मात्र की कटौती आयकर के रूप में की गयी।

उक्त फर्म के बिल से काटी गयी धनराशि रु० 81,000/- के प्रकरण में जांच कराने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रदेश के गृह राज्य मंत्री द्वारा लखीमपुर दौरे के समय नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने हेतु पूर्व सैनिकों की तैनाती की घोषणा

35–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 23-1-2000 को गृह राज्य मंत्री ने अपने खीरी-लखीमपुर के दौरे के समय नेपाल सीमा से तस्करी व विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोके जाने हेतु सीमा पर पूर्व सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या कुछ समय पूर्व गठित भारत नेपाल सीमा पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर पूर्व सैनिकों की सेवा इस में ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या अलग से तैनाती की जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विश्वास खण्ड गोमती नगर स्थित श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री के० सी कर्दम, उप निबन्धक (शिक्षा) को दी गयी धमकी की शिकायत

36–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ममता रानी पत्नी, श्री के०सी० कर्दम, उप निबन्धक (शिक्षा), 3/92, विश्वास खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को टेलीफोन पर दी गयी धमकी एवं चेतावनी की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/29611/मथुरा/99 दिनांक 20-12-99, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में निहित प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ में स्नातक योग्यता धारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या तथा पात्र कर्मचारियों की प्रोन्नति का आश्वासन

37–श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारी स्नातक योग्यता धारक हैं ? क्या सरकार स्नातक योग्यता धारी ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ के अधीन चतुर्थ श्रेणी में 9 कर्मचारी स्नातक योग्यता धारक हैं।

पद रिक्त होने पर नियमानुसार पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ लिपिक पदों पर प्रोन्नतियां की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना-आसपुर देवसरा में श्री राम राज यादव तथा थाना-कोहडौर में श्री राम सोमई आदि के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

38 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क–2 नं० 241340 दिनांक 3-11-99 पर पारित उनके आदेश जो श्री राम राज यादव, ग्राम-उदईशापुर थाना आसपुर देवसरा एवं श्री राम सोमई राम, ग्राम अतरसन्ड थाना कोहडौर तथा श्री राम चन्द्र सिंह कोटिया, आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ की एफ० आई० आर० दर्ज कराने के सम्बन्ध में था, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्रों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके विवेचना की जा रही है।

प्रदेश के तत्कालीन महानिदेशक द्वारा एस० आई० श्री इतवारी लाल को पुरस्कार एवं पदोन्नति दिये जाने की कथित घोषणा

39–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 फरवरी, 1997 को डी०जी०पी० श्री हरिदास राव द्वारा उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने हेतु एस०आई० श्री इतवारी लाल को पदोन्नति एवं पुरस्कार स्वरूप 60 हजार रुपये देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी की पदोन्नति एवं घोषित धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम मलाक चतुरी में गरीबी रेखा के नीचे एवं सामान्य वर्ग के बनाये गये राशन कार्डों की संख्या एवं फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

40–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मलाक चतुरी, सोरांव इलाहाबाद में गरीबी की रेखा के नीचे एवं सामान्य वर्ग के कुल कितने राशन कार्ड बनाये गये हैं ? क्या यह सही है कि गरीबी की रेखा के नीचे के बनाये गये 174 कार्डों में ग्राम मलाक चौधरी के अलावा ग्राम लखनीपुर के 36 लोगों के नामों से फर्जी राशन कार्ड बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत, मलाक चतुरी, विकास खंड सोरांव, तहसील सोरांव में गरीबी रेखा के नीचे कुल 206 तथा सामान्य वर्ग के 352 राशन कार्ड बनाये गये हैं ।

जी नहीं । गरीबी रेखा के नीचे कुल 206 बनाये गये राशन कार्डों में से जांचोपरान्त 5 राशन कार्ड फर्जी पाये गये जिन्हें निरस्त कर दिया गया है ।

जी हां । फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ के नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि० में की गई अनियमितता की जांच

41–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि०, प्रतापगढ़ में कुल 15,25,000/- के गबन की जांच हेतु मा० मुख्य मंत्री का आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम-5/8230/प्रतापगढ़/98 दिनांक 25-3-98 निबन्धक, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर से करायी जा रही है और इसके परिणाम क्या हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

संदर्भित प्रकरण की जांच उप निबन्धक सहकारी समितियों, उ० प्र०, इलाहाबाद मंडल के स्तर से गठित जांच समिति (श्रेत्रीय सहायक उप निबन्धक की अध्यक्षता) द्वारा कराई गई । जांच समिति की आख्या के अनुसार संदर्भित संस्था के सचिव एवं संचालक मंडल द्वारा धनराशि मु० 15.25 लाख रु० भवन को क्रय करने हेतु अनियमित रूप से व्यय की गयी । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त निर्देशों के बाद सीमा से अधिक लिये गये ऋण की वापसी सचिव द्वारा कर ली गई है ।

उ० प्र० प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति बाराबंकी द्वारा श्री रमेश सिंह सचिव के निलम्बन सम्बन्धी पत्र एवं उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही

42–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सदस्य, सचिव, उ० प्र० प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति, बाराबंकी के पत्रांक–1867-10/सचिव कैडर/स्था०/95-96 दिनांक 18-10-95 द्वारा श्री रमेश सिंह, सचिव को निलम्बित किया गया था ? क्या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच में आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उनको उच्च वेतन पर सचिव ग्रेड–I का वेतन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच कार्यवाही की जा रही है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जांच कार्यवाही चल रही है तथा जांच परिणाम आने से पूर्व कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

"मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से दिए गये निर्देशों में है कि कोई व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नों के संबंध में प्रश्नों के बाद उठाया जाएगा, आज मान्यवर, छठे सोमवार के लिए निर्धारित राम औतार शाक्य जी का तारांकित प्रश्न, प्रश्न सं०–2 है इसका उत्तर आया है और तारांकित प्रश्न संख्या–5 का जो उत्तर आया है उसको देख लें, तारांकित प्रश्न सं०–2 में प्रश्न किया गया था कि "क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपदों में कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? उत्तर में शासनादेश द्वारा नीति निर्धारित की गई है यह बताया गया ? मालूम नहीं क्या नीति निर्धारित है क्या इनको इस प्रश्न के उत्तर के साथ शासनादेश नीति संलग्न करने की आवश्यकता थी या नहीं ? इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है उसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शस्त्र असलहों के लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कोई नीति निर्धारित की है ? इन्होंने उत्तर दिया कि व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सों के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में आयुद्ध अधिनियम, 1959 एवं आयुद्ध नियमावली 1962 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रक्रियात्मक नीति निर्देश समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को प्रसारित किए गए हैं इसमें संलग्न, नीति निर्देश में होना चाहिए था या नहीं ? यह मेरी जिज्ञासा है इसमें जो प्रश्न पूछा गया है यह तब तक कम्पलीट नहीं होता जब तक संलग्नक नहीं लगता है । इसलिए मैं इन पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्या इस तरह के प्रश्न जो हैं उसमें संलग्नक लगना चाहिए या नहीं ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो प्रश्न उठाया गया है, आपने कहा स्थानान्तरण नीति क्या है मैंने कहा फलां तारीख में फलां आदेश द्वारा नीति निर्धारित की गई है, 6-7 पेज का संलग्नक कैसे लगेगा ? मूल बात बता दी अगर कोई कमी थी आपने कहा बताने को, वह जानकारी दे दी गई ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है शासन से उत्तर आते हैं उसमें प्रयास यह होना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर का समाधान हो । लेकिन कई मर्तबा सरकार की अलग-अलग नीतियों के अन्तर्गत फैसले होते हैं और उसमें काफी बड़े डाकूमेंटस हो जाते हैं । मैं उसमें अपेक्षा ये करूंगा कि यह संलग्नक कम से कम पीठ के पास जो प्रश्नोत्तर आते हैं, उसमें संलग्नक हो जायें । पीठ से माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को समाप्त किया जा सकता है । माननीय मंत्री जी ने शासन को जो पक्ष रखा है उसमें व्यावहारिक कठिनाई है उससे मैं सहमत हूं । यह अनिवार्य नहीं है । लेकिन यथा समय जो मुख्य बिन्दु हैं उसके उत्तर में किसी शासनादेश का संदर्भ देते समय उसकी मुख्य नीतियों को कोड किया जा सकता है । मैं यह अपेक्षा करूंगा कि इस तरह की नीतियों के शासनादेश की जो अनुपूरक सामग्री है वह पीठ के पास उपलब्ध रहे । इस प्रकार मैं व्यवस्था के प्रश्न को निस्तारित करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक सवाल था पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में उसमें संलग्नक के रूप में 20 पेज का शासनादेश लगाया गया था । तो मैं नहीं समझता हूं कि आज जो सवाल पूछा गया है उसमें 20 पेज का संलग्नक से ज्यादा होगा ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी सहमत होंगे, जो उल्लेख किया, मूल उत्तर में आया है वह शासन की नीतियां है वह केवल प्रश्नगत अधिकारियों के बारे में नहीं है । यह सम्पूर्ण कार्मिक अधिकारियों के बारे में है । अगर प्रश्नगत अधिकारियों के बारे में होता तो आपकी बात में दम था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जितना पार्ट/एप्लीकेबल है उतने का दे देते ।

भूतपूर्व सदस्यों–श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल तथा श्री बाबू राम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली मद संख्या–3 ले रहा हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता, मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे चार भूतपूर्व विधायक, जो पूर्व में इस सदन की शोभा बढ़ा चुके हैं, नहीं रहे । श्री अनवर जमील जी कन्नौज के रहने वाले थे, 13-1-2000 को उनका निधन हो गया है । उनका जन्म 1941 में छिबरामऊ में हुआ था । उन्होंने बी०एस०सी०, एल०एल०बी० तथा डी०पी०ए० तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वे 1974 में कमालगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे । संयोग से मुझे भी उनके साथ बैठने का अवसर मिला । वे बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे और सदैव साथियों में बैठकर अपने जनपद के विकास की बात करते थे और अपने जनपद की समस्याओं को उठाते रहते थे । उनके निधन से उनके जनपद का ही अभाव नहीं हुआ बल्कि पूरे प्रदेश ने एक अच्छा व्यक्ति खो दिया । इससे काफी हानि हमको हुई है ।

मान्यवर, दूसरे श्री राकेश कुमार पालीवाल का निधन 20 मार्च, 2000 को दिल्ली में हो गया । उस समय उनकी आयु 52 वर्ष थी । उनका जन्म 1948 में हुआ था । वे निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आते थे । उनकी राजनीतिक और सामाजिक ख्याति थी । मान्यवर, श्री किशोरी लाल अग्रवाल जी का निधन 25 मार्च, 2000 को हो गया उनकी 81 वर्ष की आयु थी । उन्होंने बी०ए०, एल०एल०बी० तक की शिक्षा प्राप्त की है । उनका जन्म 1 सितम्बर, 1919 को लखनऊ में हुआ था । 1962 में वे लखनऊ शहर पूर्व से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा ।

मान्यवर, माननीय श्री बाबू राम जी का निधन 26 मार्च, 2000 को हो गया वे लगभग 62 वर्ष के थे । उनका जन्म 10 जून, 1938 को हुआ था । 1980 के सामान्य निर्वाचन में वे बरखेड़ा जिला पीलीभीत से कांग्रेस आई०के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कई संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और सामाजिक जीवन में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा ।

मान्यवर, इन महान विभूतियों के निधन से एक रिक्तता पैदा हुई है मैं अपने दल की ओर से और समस्त सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे यह श्रद्धा के पुष्प उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें । और, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विचार हमारे भूतपूर्व सदस्य श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल, श्री बाबू राम जी के प्रति रखे हैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि निरन्तर हमारे साथियों का अभाव होता चला जा रहा है जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया अथवा अपनी समाज सेवा से प्रदेश की जनता को लाभांवित किया उनकी धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है यह बड़ी चिन्ता की बात है। श्रीमन्, इसमें हमारा आपका और किसी का कोई दोष नहीं है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है वह जिसे अपने पास बुला लेता है उसमें कोई बाधा भी नहीं डाल सकता है। श्रीमन्, यह अवश्य है कि जिस योग्यता, क्षमता और कार्य शैली का व्यक्ति हम से अलग होता है उस योग्यता, कार्य क्षमता और कार्य शैली का व्यक्ति यथाशीघ्र समाज को नहीं मिल पाता है जिससे समाज को नुकसान ही होता है। समाज जो लाभ प्राप्त करना चाहता है या जो मदद चाहता है उसे नहीं मिलती है। श्रीमन्, ऐसे ही क्षमता वाले व्यक्तियों में से हमारे अनवर जमील जी थे जो कन्नौज जनपद के निवासी थे उन्होंने अपनी समाज सेवा से सारे फर्रूखाबाद जनपद की, जिसमें से अब कन्नौज अलग हो गया है, लाभान्वित किया। एक बार वे इस माननीय सदन के सदस्य भी रहे। सदन में भी रहकर उन्होंने अपने अमूल्य विचारों से जनता को लाभान्वित किया और दुख की बात यह है कि 59 वर्ष की आयु में ही हम से विलग हो गये। श्रीमन्, उनकी रुचि खेलों में बहुत थी। और, साथ ही साथ ऐतिहासिक धरोहर रखने के लिए भी उनकी रुचि थी। वे पुराने सिक्कों को एकत्र किया करते थे और बहुत बड़ी संख्या में पुराने सिक्के आज भी उनके यहां मौजूद हैं। मैं स्वयं भी उनके इस कार्य को भलीभांति जानता था और देखा है। श्रीमन्, ऐसे ही श्री राकेश कुमार जी पालीवाल, अपने में एक अनोखे व्यक्ति थे उन्होंने सन् 89 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीता था। बहुत सी कम ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जो विधान सभा का चुनाव निर्दलीय स्थिति में जीतते हैं। निश्चित रूप से उनका संगठन, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार जो रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। श्रीमन्, वह हमसे अल्प आयु में ही विलग हो गये। केवल उनकी 52 वर्ष की उम्र थी अगर वह और अधिक समय तक हमारे प्रदेश में, समाज में रहते तो निश्चित रूप से उनकी क्षमता, योग्यता आदि का फायदा इस प्रदेश की जनता को होता।

श्रीमन्, इसी तरह से श्री किशोरी लाल अग्रवाल जी, भी हमारे इस प्रदेश के बहुत बड़े समाजसेवी रहे हैं, उन्होंने अपनी योग्यता और कर्मठता से इस विधान सभा में भी बहुत उच्चकोटि के विचार रखे हैं और विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने समाज की सेवा की है। वे भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रियता से भाग लिये और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

श्रीमन्, इसी तरह से हमारे भूतपूर्व सदस्य बाबू राम जी 62 वर्ष की उम्र में हमसे विदा ले गये सन् 80 में इसी विधान सभा में वह बैठा करते थे और अपने उच्चकोटि के विचारों से समाज को लाभान्वित करने की बातें यहां रखा करते थे। श्रीमन्, मैं और हमारा दल इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी दिवंगत आत्माओं को शास्वत शांति और उनके परिवार जनों को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे। मेरा अनुरोध है कि हमारे विचार उनके परिवारजनों तक पहुचाने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने निधन के सम्बन्ध में एवं शोक संवेदना में जो भावनाएं व्यक्त की उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री अनवर जमील जो इस विधान सभा में चुनकर आये थे और बहुत कर्मठ जुझारू रहे, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे, उनका निधन 13 जनवरी, 2000 को हो गया । इससे पूरे कन्नौजवासियों तथा उत्तर प्रदेश को एक कुशल राजनीतिज्ञ को खोने का दुख हुआ है । हम अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री अनवर जमील के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । श्री राकेश कुमार पालीवाल जी इस विधान सभा में 1989 में चुन कर आये थे । बहुत ही अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ तथा लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी होते हुये, एक कुशल उद्योगपति भी थे । 20 मार्च, 2000 को श्री पालीवाल जी का निधन हो गया । उनके निधन से केवल फिरोजाबाद ने ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ने एक उभरते हुये व्यक्तित्व को खोया है । हम अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री पालीवाल जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, इसे आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री किशोरी लाल अग्रवाल जी लखनऊ के रहने वाले थे । वह वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाजसेवी थे और इस विधान सभा में सन् 1962 में चुनकर आये थे । उनके निधन से लखनऊ को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है । ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी श्री किशोरी लाल अग्रवाल जी के निधन पर हम अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस शोक संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री बाबूराम जी, सन् 1980 में इस विधान सभा में चुन कर आये थे, बहुत ही कुशल समाजसेवी थे । विशेष रूप से आन्दोलनों में उनकी विशेष रुचि रहती थी और गरीबों की सेवा में वह सदैव तत्पर रहते थे । विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों की आवाज को मुखर तरीके से उठाते रहते थे । श्री बाबूराम जी 26 मार्च, 2000 को हमारे बीच में नहीं रहे । श्री बाबूराम जी के निधन पर हम अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस शोक संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल और नेता, बहुजन समाज पार्टी ने जो हमारे भूतपूर्व 4 सम्मानित सदस्य स्वर्गवासी हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । जहां तक अनवर जमील साहब का प्रश्न है, वह कमालगंज क्षेत्र से 1974 में विधायक चुने गये थे । बड़े अच्छे समाजसेवी और राजनेता थे, उनके निधन से जनपद कन्नौज को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को क्षति हुई है । हम और हमारी पार्टी, उनके निधन से दुखी है । आपसे निवेदन है कि हमारी और हमारी पार्टी की संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे, जहां पर भी उनकी आत्मा हो, वह शान्ति से रहे ।

श्री राकेश कुमार पालीवाल जी का बहुत ही युवावस्था में स्वर्गवास हो गया, वह हमारे बीच से चले गये । वह फिरोजाबाद से निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गये थे और नगरपालिका, शिकोहाबाद के अध्यक्ष भी रहे थे और बहुत ही अच्छे समाजसेवक थे, उनके निधन से जनपद फिरोजाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे आगरा मंडल को एक क्षति हुई है हम और हमारी पार्टी इस पर गहरा दुःख प्रकट करती है और आपसे निवेदन है कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे । मान्यवर, श्री किशोरी लाल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया और यातनाएं सहीं । वह लखनऊ से विधान सभा के सदस्य रहे और लखनऊ की बहुत अच्छी सेवा की । मान्यवर, हमारा और हमारी पार्टी का संदेश उनके

परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे । श्री बाबू राम जी पीलीभीत से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । वे गरीबों की आवाज को बुलन्द किया करते थे और एक बहुत अच्छे जन सेवक थे । मान्यवर, उनके निधन से सिर्फ पीलीभीत को ही नहीं बल्कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को भी बहुत कष्ट हुआ है । श्रीमान् जी से निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और उनकी आत्मा को ईश्वर शान्ति प्रदान करे ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, जीवन और मृत्यु सत्य है । आज इस दुःख की घड़ी में उन चार सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करने खड़े हुए हैं जो कभी इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं । श्री अनवर जमील साहब ने कमालगंज से जनता की रहनुमाई 1974 में की थी । वह एक अच्छे सजनीतिज्ञ, और समाजसेवी तथा सहकारी आन्दोलन के अग्रणी पंक्ति में रहने वाले साथी तथा धर्मनिरपेक्षता के एक मजबूत आधार थे । मान्यवर, इसी प्रकार हमारे स्वर्गीय साथी राकेश कुमार पालीवाल जी बहुत ही कम उम्र में, चाहे उद्योग हो, चाहे समाज सेवा हो, उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी । मान्यवर, किशोरी लाल अग्रवाल जी उन पुरानी पीढ़ी की शख्सियतों में हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और देश के नवनिर्माण में भी हिस्सा लिया । उनके निधन से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी हमारे बीच से चला गया । मान्यवर, बाबू राम जी का निधन एक दुखद घटना है । 1980 में वह इसी विधान सभा के सदस्य थे । पीलीभीत से निर्वाचित होकर जब आए तो अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने दलितों, गरीबों, शोषितों की आवाज को विधान सभा में शक्ति देने का काम किया, बुलन्दी तक पहुंचाने का काम किया । उनके निधन से पीलीभीत में ही नहीं, आसपास के अंचल से एक मजबूत, गरीबों की आवाज उठाने वाला हमारे बीच से चला गया । मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संवेदनाएं इन साथियों के परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल, श्री बाबूराम जी, यह चारों साथी इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं, इनके न रहने से इनके क्षेत्र, इनके जिले और पूरे प्रदेश को क्षति हुई है । मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से शोक संवेदना इनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल, श्री बाबूराम जी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे । श्री अनवर जमील साहब का निधन 13 जनवरी, 2000 को हो गया । वह फर्रुखाबाद से 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर आये थे । उनके निधन से जनपद कन्नौज को अपूर्णीय क्षति हुई है ।

श्री राकेश कुमार पालीवाल 1989 में शिकोहाबाद से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आये थे । वह हमारे बीच में अब नहीं रहे । उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है । श्री किशोरी लाल अग्रवाल का 25 मार्च, 2000 को निधन हो गया । वह 1962 में लखनऊ पूर्व से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी थी । जिससे उनको लम्बी जेल यातना सहनी पड़ी थी उनके निधन से जनपद लखनऊ और प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबूराम जी का निधन 26 मार्च, 2000 को हो गया । वह 1980 के सामान्य निर्वाचन में बरखेड़ा जिला, पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे । वह दलितों और पिछड़ों के लिए जिन्दगी भर संघर्ष करते रहे । वह मैनेजिंग कमेटी डा० भीमराव अम्बेडकर मान्टेसरी जूनियर हाईस्कूल, पीलीभीत के अध्यक्ष थे और वह पीलीभीत जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे । उनके निधन से जनपद पीलीभीत की अपूर्णीय क्षति हुई है । श्रीमन् इन भूतपूर्व सदस्यों के निधन से हम और हमारा दल बेहद दुःखी है । मेरा अनुरोध है कि हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल, श्री बाबूराम आज हमारे बीच में नहीं हैं । इनके निधन के प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता लोकदल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किया है मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं और इन चारों भूतपूर्व सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं । मेरी प्रार्थना है कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अब्दुल सलाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भूतपूर्व सदस्य विधान सभा हमारे बीच में नहीं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सदन के चार भू० पू० सदस्य श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल और श्री बाबूराम जी जो अब इस संसार में नहीं रहे हैं । इन चारों भू० पू० माननीय सदस्यों के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे दलों के माननीय नेतागणों ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय श्री अनवर जमील, श्री राकेश कुमार पालीवाल, श्री किशोरी लाल अग्रवाल और श्री बाबू राम ने माननीय सदस्य के रूप में जो इस सदन और इस प्रदेश की जनता की और अपने क्षेत्र तथा अपने जिलों की सेवायें की हैं, इनके निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति होना सम्भव नहीं है । मैं सभी माननीय नेतागणों द्वारा व्यक्त किये गये शोकोद्गारों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहूंगा कि आप सभी के शोकोद्गार उन दिवंगत आत्माओं के परिजनों तक पहुंचा दूंगा । इसी के साथ हम सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट मौन धारण करेंगे ।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट मौन खड़े हुये)

निधन के निर्देश के समय मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित राजनैतिक दल के नेताओं की सदन में अनुपस्थिति पर उठाई गयी आपत्ति

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ और दुःख के साथ एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो इस सम्मानित सदन के सदस्य होते हैं और हमसे बिछड़ जाते हैं जो अब इस दुनियां में नहीं रहे हैं उनके लिये सामान्य परम्परा रही है कि सभी दलों के लोग उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । मान्यवर, यह एक अवसर होता है जब उन सदस्यों के प्रति जिन्होंने इस सदन में अपना योगदान दिया है इसलिये उनके निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करने में सर्वोच्च प्राथकिमता दी जाती है । परन्तु हमें आज दुःख हुआ कि ये निधन के निर्देश कार्यसूची में प्रकाशित हुए हैं । आज इस भारीभरकम मंत्रिमण्डल में से बहुत से सत्ता पक्ष के सदस्य, सदन में उपस्थित नहीं है और ना ही उनके विचार इन दिवंगत आत्माओं के प्रति उजागर किये गये । मान्यवर, किसी को विवश तो नहीं किया

जा सकता, मजबूर तो नहीं किया जा सकता लेकिन क्या मान्यवर, यह उचित नहीं होगा कि ऐसे दुःख भरे अवसर पर जबकि पूरे सदन की ओर से दिवंगत माननीय सदस्यों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किये गये हों वे उपस्थित होकर अपनी शोक संवेदना इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करते ?

श्री अधिष्ठता–

यह वाद-विवाद का विषय नहीं है लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में मानवीय संवेदनाओं का विषय है । इस संबंध में इस पीठ से कोई दिशा-निर्देश तो नहीं दिया जा सकता परन्तु सभी दलों के माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से इस तरीके के संवेदनशील अवसरों पर उपस्थिति प्रस्तुत कर अपनी संवेदनायें सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति व्यक्त करना चाहिये था ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 01 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

श्री राम नरेश यादव के अनुपस्थित रहने पर प्रतीक्षा सूची के श्री विजय पाल सिंह की सूचना स्वीकार की गई । स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं ।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के ग्राम पीपर गांव के स्वीकृत स्थल पर ही होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रारम्भ करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड औराई के ग्राम पीपर गांव में काफी दिनों से चली आ रही जनता की मांग को देखते हुये शासन द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा पीपर गांव के नागरिकों द्वारा भवन निर्माण होने तक निःशुल्क भवन चिकित्सालय खोलने हेतु उपलब्ध कराया गया किन्तु वहां पर नियुक्त चिकित्सक द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों की उपेक्षा कर स्वीकृत स्थल चलाया जा रहा है जिससे नागरिकों में व्यापक आक्रोश है । इस संबंध में लिखित व मौखिक शिकायत करने पर भी कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई । जनपद का एक मात्र मुख्यालय के पास का चिकित्सालय है ।

अतः कृपया क्षेत्रीय नागरिकों की परेशानी को देखते हुये प्रस्तुत प्रकरण की जांच करा कर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं स्वीकृत स्थल/ग्राम पीपर गांव जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में ही होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रारम्भ करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद रुद्र प्रयाग पौड़ी एवं चमोली में गत वर्ष भूकम्प, भू-स्खलन एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अन्यत्र विस्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, गतवर्ष जनपद रुद्र प्रयाग, पौड़ी व चमोली में भूकम्प, भू-स्खलन बाढ़ व अतिवृष्टि से बहुत से गांव नष्ट हो गये हैं, बहुत से गांव रहने योग्य नहीं रह गये हैं । उनमें जान माल की बहुत क्षति हुयी है । कई लोग मारे गये हैं । रुद्र प्रयाग जनपद के कई गांव मद्महेश्वर घाटी में नष्ट हो गये थे ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कई लोग मारे गये, इन गांवों को बसाये जाने के लिये लोगों को आश्वासन दिया गया था, किन्तु कुछ ही परिवारों को ऊखीमठ के समीप एक-एक कमरा बनाकर रखा गया है, जिसमें पेयजल, विद्युत व अन्य सुविधाएं नहीं है, उन्हें कोई रोजगार भी नहीं दिया गया है, वे त्रासदी जीवन व्यतीत कर रहे हैं । इसी प्रकार जनपद पौड़ी में ग्राम कसाणा, जोग्याणा, मोहनचट्टी आदि गांवों भी अतिवृष्टि एवं भूकम्प से नष्ट हुए हैं । उन्हें अन्यत्र बसाने का आश्वासन मिला था, किन्तु कोई पुनर्वासित योजना नहीं बनाई गई है, जिससे लोग भविष्य में संवेदनशील गांवों में रहने से दुर्घटना के भय से भयभीत हैं । प्रशासन ने सरकार को इन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र बसाने के लिये आग्रह किया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन को शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश देने की कृपा करें ।]

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के छात्रों के उपयोगार्थ घोषित की गयी सत्तर लाख रुपये की धनराशि रिलीज करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम–

[मान्यवर, 15 जुलाई को उ० प्र० सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ के स्थापना दिवस के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा कारगिल में शहीद हुए सैनिक स्कूल के भूतपूर्व छात्र, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय की स्मृति में एक जिमनेजियम और कारगिल छात्रावास सहित विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 70,00000 (सत्तर लाख रुपये) अनुदान देने की घोषणा की गयी थी । लेकिन अभी तक घोषित धनराशि स्कूल को प्राप्त नहीं हो सकी है जिस कारण स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल घोषित धनराशि स्कूल को जनहित में उपलब्ध करायी जाये ।]

राज्य के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं भारतीय बालीबाल के पूर्व कप्तान को प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह–

[मान्यवर, उ० प्र० शासन ने वर्ष 1989 में प्रदेश पुलिस के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रादेशिक क्रीड़ाधिकारी (पुलिस) राजपत्रित के पद का सृजन किया था । इस पद पर प्रदेश पुलिस व राज्य के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं भारतीय बालीबाल टीम के भूतपूर्व कप्तान श्री रनवीर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की नियुक्ति 15-9-89 को की गयी । श्री सिंह ने अपने खेल अनुभव तथा परिश्रम से प्रदेश पुलिस की खेल प्रतिभाओं को भर्ती कराने का आठ वर्ष तक लगातार प्रयास किया । जिसके कारण प्रदेश की खेल प्रतिभायें पुलिस सेवा में भर्ती होने लगीं । वर्ष 1997 में प्रदेश पुलिस की जनशक्ति तथा खेल खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए केन्द्रीय पुलिस बलों की तरह खेल अधिकारी (पुलिस) के पद को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव वर्ष 1997 में शासन को भेजा गया था जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी के साथ-साथ विभाग के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्र के अन्य पुलिस बलों की तरह वर्ष 1992 से पदोन्नति नीति शासन में लम्बित है । वर्तमान में खेल अधिकारी के पद पर भी शासनादेश के अनुसार कोई अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नियुक्त नहीं है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करते हुये तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि० अलीगंज के फार्म हाउस में कार्यरत कर्मचारियों के बकाये अवशेष का भुगतान कराने एवं पुनः काम पर लेने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबैदुर्रहमान–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ की मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि० अलीगंज के फार्म हाउस, जो ग्राम कैथी, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ में है, उसी फार्म हाउस में वर्षों की सेवा पश्चात् बिना कारण बताओ नोटिस के निकाले गये कर्मचारियों की ओर ले जाना चाहता हूं । जिन्हें मात्र 500/- प्रतिमाह पर वर्ष 1985 से 24 घण्टे कार्य लिया जा रहा था । कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ाने एवं नियमित करने, काम के घण्टे निर्धारित करने संबंधी दिये गये पत्र के पश्चात् उन्हें बिना कारण बताओ नोटिस के वर्ष 1999 में बिना वेतन दिये निकाल दिया गया और नये कर्मचारियों से फार्म का संचालन व कार्य कराया जा रहा है ।

निकाले गये कर्मचारियों एवं वर्तमान में कार्यरत मजदूरों को कितना रुपया प्रतिदिन व प्रतिमाह नियमानुसार मिलना चाहिए व कितना दिया गया व दिया जा रहा है । इसकी जांच कर निकाले गये कर्मचारियों को उनके बकाये अवशेष धनराशि का भुगतान कराने उन्हें पुनः काम पर लेने हेतु मैं उपरोक्त को नियम 301 में उठाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि सम्बन्धित को न्याय मिल सकें । कृपया नियम 301 में उठाने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।]

जनपद, बस्ती में महनुआ दसिया मार्ग के शेष 7 कि० मी० के निर्माण की स्वीकृति पूर्वांचल निधि के राज्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, जनपद बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत महनुआ दसिया मार्ग का शेष भाग लगभग सात किलोमीटर के खड़न्जा निर्माण के लिए पूर्वांचल निधि के राज्य सेक्टर से निर्माण कराने के सम्बन्ध में लगभग तीन वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, हर वर्ष नियोजन मंत्रालय का यही उत्तर आता है कि संसाधन के अभाव में निर्माण संभव नहीं है । यह कार्ययोजना जिले की अन्य योजनाओं से संभव नहीं है जबकि यह मार्ग दो बड़े मुख्य मार्ग पीलीभीत बहराइच मार्ग और लुम्बनी दुद्धी मार्ग को जोड़ता है । लेकिन सात कि०मी० मार्ग निर्माण के अभाव में दोनों मुख्य मार्गों तक जाने तथा तहसील तक जाने में जनता को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है जबकि यह मार्ग कम से कम 25 ग्रामों को जोड़ता है ।

अतः अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर पूर्वांचल निधि के राज्य सेक्टर से मार्ग के शेष सात किमी० के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र कराये, मार्ग का प्राक्कलन, नियोजन में मौजूद भी होगा ।]

जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं इटावा में पेयजल समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष 2000 में चार राज्यों में सूखे से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मवेशियों का मरना जारी है यह स्थिति राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी उ० प्र० की सीमा जिले प्रभावित है । जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा आदि में पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हो जाने से त्राहि-त्राहि मची हुयी है । प्रतिवर्ष भू-गर्भीय जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है । प्रदेश शासन द्वारा भयावह स्थिति को भांपते हुये भी नजरअन्दाज किया जाना खेद का विषय है । उक्त जिलों में कुंए आदि तो वर्षों पूर्व सूख चुके हैं । पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हैण्डपम्प के द्वारा शासन से जो की गयी है वह भी पानी न मिलने से फेल होने जा रही है । अधिकांश हैण्डपम्प दो वर्ष में ही पानी देना बन्द कर देते हैं । उक्त गम्भीर समस्या से निजात पाने का मात्र एक ही विकल्प नहीं, नालों में बांध आदि लगाकर तथा तालाब में जल संचय कर उक्त स्थिति से निजात पायी जा सकती है । आगरा जनपद में जमुना, उटंगन व खारी नदी तथा ककुआ झरना नालों पर बांध बनाकर उक्त क्षेत्र की जनता को तथा सिंचाई के पानी की समस्या हल हो सकती है । फतेहाबाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए पानी की टंकी व राजकीय नलकूपों का कार्य क्षमता नगण्य है जिससे जनता को पीने का पानी तथा सिंचाई आदि के लिए पानी न मिल पाने से फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । मेरे द्वारा कई बार उ० प्र० शासन को लिखित दिया जा चुका है । उसके बावजूद भी अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अस्तु, माननीय सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें । ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं उनके नाम इस प्रकार हैं–प्रतीक्षा सूची श्री राम औतार शाक्य तथा अन्य माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री हरपाल सिंह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री जोखू लाल यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री फरीद महफूज किदवाई, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 1-5-2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित चार सूचनायें प्राप्त हुयी ।

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार एवं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है ।

बजट प्राविधानों के विपरीत गैर लेवी चीनी और तम्बाकू उत्पादन पर प्रवेश कर तथा मोटर वाहनों और उनके कल पुर्जों पर व्यापार कर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद–202 की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा । इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि "राज्यपाल प्रत्येक वितीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय के विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है ।"

इसी प्रकार मान्यवर, अनुच्छेद 203 और 204 में भी प्राविधान किया गया है । भारत के संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आदरणीय सदन में वर्ष 2000-2001 के लिए अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है । प्रदेश सरकार ने इस बटज में किसी नये कर का प्राविधान नहीं किया है और ऐसा करके इस सरकार ने प्रदेश की जनता को यह संदेश दिया है कि उस पर कोई नया कर नहीं लगेगा परन्तु 29 अप्रैल, 2000 को उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर 1 मई, 2000 से व्यापार कर की दर में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है । श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि जो कर 5 प्रतिशत की दर से वसूला जाता था वह अब 12 प्रतिशत की दर से

1 मई, 2000 से वसूल किया जायेगा । 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिससे अब बाजारों में गैर लेवी चीनी और तम्बाकू के उत्पादों पर 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रवेश कर पर लागू कर दी है । यह अनियमित कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है । बिना इस सम्मानित सदन के अनुमति के प्रदेश सरकार ने उपरोक्त करों में वृद्धि की है जो पूर्णतया अनियमित है । जबकि प्रदेश सरकार के बजट पर अभी यह सदन विचार कर रहा है । बगैर बजट के प्राविधान के प्रदेश की सरकार ने व्यापार कर और प्रवेश कर में बढ़ोत्तरी कर दी । बिना सदन की अनुमति लिये सरकार द्वारा करों में की गई वृद्धि सदन की खुली अवमानना है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सीधे-सीधे करों में वृद्धि भारत के संविधान के संगत अनुच्छेदों की खुली अवहेलना है । इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब इस विधान सभा का गठन हुआ तो सत्रों को तीन टुकड़ों में बांटा गया । बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र । बजट सत्र की अवधारणा इसी बात पर निर्भर करती है कि इसमें बजट प्रस्तुत होता है । इसके साथ ही साथ प्रदेश के पूरे वर्ष का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं । इस प्रदेश को चलाने के लिए नये करों को लगाना कहीं आवश्यक है तो कहीं अनावश्यक है । यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि बजट सत्र चल रहा है और हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने वार्षिक बजट प्रस्तुत किया तो मान्यवर, क्या यह राजनीतिक धोखाधड़ी और सदन के साथ विश्वासघात नहीं है कि एनुवल बजट में हम कर रहित बजट प्रस्तुत कर दें और उसी बजट सेशन में इतनी भी सरकार ने ईमानदारी नहीं बरती कि बजट पारित हो जाने के बाद शीतकालीन अथवा मानसून सत्र या विशेष सत्र में करों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाती । इसी बजट सत्र में एक कर विहीन बजट प्रस्तुत कर दिया और दूसरी तरफ हर महत्वपूर्ण चीज पर चाहे व्यापार कर हो या प्रवेश कर हो उसके माध्यम से करोड़ों रुपये का टैक्स आयद कर दिया और वह आज लागू होने जा रहा है । इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और प्रार्थना है कि सरकार राजनैतिक ईमानदारी क्यों नहीं दिखा सकती कि जब बजट पर चर्चा हो रही है तो उस समय इन करों का प्राविधान कर दिया जाता और हमें चर्चा करने का अवसर मिलता और हम अपने विचार व सुझाव भी रखते । लेकिन यह सरकार नहीं करेगी । यह जब तक सदन के साथ विश्वासघात नहीं कर लेंगे इनको चैन नहीं मिलेगा । कर रहित बजट एक तरफ प्रस्तुत कर देंगे दूसरी तरफ इन्डायरेक्ट रूप से उन्हीं करों को एक अन्य निर्देशों के साथ लायेंगे तो मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि यह सीधे-सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 202, 203 और 204 के उपबन्धों के रहते हुये जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, का सीधा-सीधा उल्लंघन है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय काय, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, अत्यन्त सीधे-सीधे ब्योरे को इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर रखा गया है जिससे ऐसा लगता है कि न जाने स्थिति कितनी भयावह हो गयी हो । वास्तविकता यह है कि भारत सरकार के वित्तमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी उसमें विचार किया गया और कुछ सिफारिशें आयीं, वित्त मंत्रियों की एक कमेटी भी बनायी गयी । देश में जो बिक्रीकर का ढांचा है, जिसे हम व्यापार कर कहते हैं, उस पर विचार किया गया । न जाने कितने वर्षों से मांग चली आ रही थी कि कर प्रणाली में समानता होनी चाहिए ताकि कर अपवंचन न हो सके और जो विरोधाभास होता है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बिक्रीकर की दरें अलग-अलग हैं वह एक हो सके और एक फ्लोर रेट तय हो जाये, और जो एक कम्पटीशन होता है वह समाप्त हो जाये । अभी तक यह होता था कि अगर हमारे यहां व्यापार ज्यादा है तो हम व्यापार की कर की दरें

कम कर देते थे । दूसरे प्रदेशों में उससे और कम कर दिया इससे एक अस्वस्थ परम्परा स्थापित हो गयी । एक कमेटी बनी थी, कमेटी की सिफारिश आ गयी और जो वहां फ्लोर रेट था, उत्तर प्रदेश में आज से ही नहीं 15 जनवरी, 2000 का आदेश है, 17 जनवरी से लागू कर दिया कि फ्लोर रेट 12 प्रतिशत रखेंगे । उत्तर प्रदेश में उसको मान लिया परन्तु कुछ प्रदेशों ने नहीं माना जिससे एक अन्तर्विरोध हो गया और फिर जो हमारी पुरानी दर थी उसको हमने लागू कर दिया । उसके बाद 5 अप्रैल, 2000 को केन्द्र सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया । निर्णय लेकर उन्होने सख्ती के साथ इस बात को कहा कि एक मई, 2000 तक फ्लोर रेट तय कर दिया जाय और अगली बैठक में उसकी सूचना दी जाय कि आपने लागू किया कि नहीं किया । फ्लोर रेट के सम्बन्ध में 15 जनवरी, को जो हमने आदेश जारी किया था उसी आदेश को हमने पुनर्जीवित किया कोई नया कर नहीं लगाया और न ही बढ़ाया और न ही कम किया । बजट में प्राविधान इसलिए नहीं किया गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया उसके पालन करने के फलस्वरूप यह बात आयी । जहां तक प्रवेश कर की बात है एक निर्णय लिया गया कि 2 प्रतिशत प्रवेश कर लगायेंगे । मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया । आज भी वही कर लागू है, पता नहीं किस प्रवेश कर की बात यह कर रहे हैं जब कर लागू किया जायेगा तो इस सदन को सूचित कर दिया जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही सफाई से केन्द्र सरकार के निर्णय का जिक्र किया, मैं आपकी अनुज्ञा से जानना चाहता हूं कि जब फ्लोर रेट के सम्बन्ध में एकरूपता की बात तय हो गयी थी तो बहुत ही ईमानदारी के साथ उसे वित्तीय वर्ष के बजट में रखा जाना चाहिए था । आप कह रहे हैं कि कर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । वस्तुस्थिति यह है कि पहले यह 5 प्रतिशत था अब आपने इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी प्रदेश में प्रवेश कर लागू नहीं है तो फिर यहां कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि आप प्रवेश कर लगाने जा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात को जस्टीफाइड करने के लिए कुछ बातें यहां पर कीं । हम यह नहीं कह रहे हैं कि कर लगे या न लगे या प्रधानमंत्री जी ने कहा या फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया, इन सब पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम तो इनकी प्रवृत्ति की बात कह रहे हैं । बजट सत्र चल रहा है आपने जनवरी में निर्णय ले लिया था और आपको यह भी मालूम था कि 15 जनवरी को निर्णय लिया जा चुका है और वित्त मंत्री जी तो बजट उसके बाद में लाये हैं तो उस बजट में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी । 3 महीने का आपने लेखानुदान लिया और यह बजट तो मात्र केवल 9 महीने का है इसलिए बजट सत्र के चलते हुए यह दो व्यवस्थायें क्यों लागू हैं । संविधान के अनुच्छेद 202 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है । प्रवेश कर लागू होगा या नहीं लागू होगा यह कोई विवाद का विषय नहीं है । औचित्य का विषय सिर्फ इतना है कि जब प्रदेश का बजट सत्र चल रहा हो, आदरणीय वित्त मंत्री जी अपना वार्षिक बजट रख रहे हों यह प्रवृत्ति कि वार्षिक बजट में नया कर नहीं लगायेंगे, बजट को कर विहीन बजट की संज्ञा देते हैं और फिर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर पे टैक्स 12 प्रतिशत करके इनडायरेक्ट रूप से प्रदेश की जनता पर डाल देंगे । हमने इसीलिये यह औचित्य का प्रश्न किया कि क्यों नहीं आपने इसको बजट का अंग बनाया या उस समय आप यह घोषणा कर देते । आपने कहा कि अखिल भारत स्तर पर यह सम्मेलन हुआ जिसमें प्रवेश कर में एकरूपता लाने के लिये निर्णय लिया गया । आप किसके साथ एकरूपता कर रहे हैं । यह तो आप अपने रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन के लिये, अपने करों को बढ़ाने के लिये, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये कर रहे हैं ।

आपकी मजबूरी हो सकती है, इस संबंध में हमारे और आपके बीच मतभेद हो सकता है लेकिन मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न दूसरा है । मेरा कहना है कि सरकार ईमानदारी क्यों नहीं बरतती । राजनैतिक बेईमानी क्यों करती है । प्रदेश को कर विहीन बजट देती है और उसी बजट सत्र में किसी दूसरे माध्यम से कर का रोपण कर देती है । हमने इसी पर यह औचित्य का प्रश्न किया है । यह जो प्रवेश कर लगाया है इसको बजट का अंग क्यों नहीं बनाया ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, स्पष्टीकरण के रूप में दो बिन्दु आये हैं । पहला तो यह है कि कहां से ऐसा निर्णय हुआ ? आपको बजट में इसका प्राविधान करना चाहिये था ? मैं फिर से स्पष्ट कर दूं शायद माननीय सदस्य के समक्ष मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, मैं उनका ध्यान चाहता हूं । जैसा मैने कहा दो चीजें हैं एकरूपता और फ्लोर रेट । यह दोनों एक चीज नहीं है । एकरूपता तो यह है कि समस्त प्रदेश में बिक्रीकर का रूप एक हो अर्थात् जो इस प्रदेश में है वह दूसरे प्रदेश में व अन्य प्रदेशों में समान हो । एकरूपता को प्राप्त करने के लिये पूर्णएकरूपता तो मिली नहीं तो यह तय हुआ कि कम से कम फ्लोर रेट तय कर लिया जाय कि इससे कम नहीं होना चाहिये । फ्लोर हमारे यहां कम था । मोटर वैहिकल के ऊपर जो टैक्स प्रस्तावित था उस फ्लोर रेट से कम हमारे यहां था । क्योंकि केन्द्र सरकार का निर्णय था इसलिये हमको भी उस फ्लोर रेट को मानना पड़ा । और यह तय हुआ 15 जनवरी को, कि यह 17 जनवरी से लागू हो जायेगा । उस समय सत्र नहीं चल रहा था । हमने देखा कि दूसरे प्रदेशों ने तो इस फ्लोर रेट को लागू नहीं किया हमने नाहक लागू कर दिया । हमारा जो व्यापार होता था वह भी चौपट हो जायेगा यह सोचकर हमने पुरानी प्रणाली को ही लागू कर दिया । इसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा फिर निर्णय लिया गया कि फ्लोर रेट 1 मई से सब जगह एक से हो जाने चाहिये और इसके बारे में अगली बैठक में जानकारी की जायेगी । तब विवश होकर हमने भी इसे स्वीकार कर लिया और 15 जनवरी का जो यह हमारा फ्लोर रेट का आदेश था वह बहाल हो गया । यह कोई मनमानी का प्रश्न नहीं है, सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं है, सदन को विश्वास में लेने का प्रश्न नहीं है । यह जो स्थिति है प्रवेश कर वाली । एक तो सुबाष जी को मैं बता दूं । ऐसा नहीं है कि प्रवेश कर केवल इस प्रदेश में हो । आधे दर्जन प्रदेशों में पहले से है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने जो यह कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें यह तय हुआ । गलत तथ्य न आयें इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

यह मैंने नहीं कहा । मैंने केवल व्यापार कर की दरों की बात कही थी । प्रवेश कर के बारे में वहां कोई निर्णय नहीं हुआ । यह हमारा अपना निर्णय है वह मैं बता रहा हूं । इस सदन में जब घोषणा हुई थी माननीय विधायकगण को विधायक निधि देने की घोषणा की गई थी उस समय सूचना दी गई थी आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें, कहा गया कि आपने विधायक निधि की घोषणा तो कर दी लेकिन देंगे कहां से, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इसके लिये प्रवेश कर लगायेंगे, प्रवेश कर लगाने का प्राविधान किया जा रहा है और इससे लगभग 500 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी । जो विधायक निधि में उपलब्ध होगी । विधायक निधि को उसी से लिंक किया गया, एक बार नहीं मान्यवर, आधा दर्जन बार कार्यवाही में आपको यह मिलेगा, उसके बाद जब सत्र आया था । उसमें भी यह बात आई थी दूसरी बात जिस मुद्दे को उठाया आज की तिथि पर उन पर प्रवेश कर नहीं है लेवी चीनी पर भी नहीं है तम्बाकू पर भी नहीं है । हमने निर्णय तो लिया लेकिन लागू नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

पूरे प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर प्रवेश कर लगाना था विधायक निधि की घोषणा की थी तो यह एनुवल बजट का हिस्सा क्यों नहीं बना, अलग से क्यों आ रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट प्राविधानों के विपरीत लेवी चीनी, तम्बाकू पर प्रवेश कर, मोटर वैहिकिल्स और उनके कल पुर्जों पर प्रवेश कर का विरोध किये जाने के संबंध में जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 202, 203, 204 के प्राविधानों के उल्लंघन को कहीं पर भी स्पष्ट नहीं करता है कहीं पर इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं होता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जो व्यापार कर की दरों को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिये और उसी आशय से जो भारत के स्तर पर सभी प्रदेशों के माननीय मुख्य मंत्रियों की बैठक का फैसला लिया गया उसके अनुसार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये फ्लोर रेट तय करने के लिये एक नीतिगत घोषणा सभी प्रदेशों के बीच में हुई तद्नुसार 15 जनवरी को प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया चूंकि दूसरे प्रदेशों में यह फैसला नहीं लिया जा सका अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उस आदेश को स्थगित रखा । जैसा संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने अपेक्षा की है कि पहली मई से इस व्यवस्था को लागू होना चाहिये । इसलिये 15 जनवरी के आदेश को 5 अप्रैल के अपने आदेश द्वारा उसको पुनर्जीवित किया । इस प्रकार यह कहना कि इसको बजट प्राविधान से जान-बूझकर अलग रखा या लोपित किया गया यह स्पष्ट नहीं होता है । जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा नीतिगत फैसला पहले लिया जा चुका है । जहां तक प्रवेश कर का संबंध है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार ने दोनों मन्तव्य जाहिर किये हैं, प्रवेश कर लगायेंगे यह विचाराधीन है सरकार ने सदन में भी कई बार स्थिति से अवगत कराया लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अब तक सरकार द्वारा प्रदेश में रोपन अभी तक नहीं किया गया ।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके विपरीत जाकर सरकार द्वारा कोई नीतिगत घोषणा बजट प्राविधानों के बारे में नहीं की गयी । अतः इस औचित्य के प्रश्न को इस व्यवस्था के साथ अस्वीकृत करता हूं । यह नियम–3(X) में नहीं आती है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं । इसी के साथ शेष सूचनायें जो नियम 3(X) से संबंधित हैं, उनको निरस्त करता हूं ।

(श्री राम औतार शाक्य जी के खड़े होकर बोलने पर)

लोक निर्माण मंत्री के त्याग-पत्र के कारण सदन व सरकार का कार्य बाधित होने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी आपकी सूचना नियम–300 में नहीं आती है । आप कृपया स्थान ग्रहण करें । यह प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी गयी है । आपकी सूचना है कि लोक निर्माण मंत्री के त्याग-पत्र के कारण सदन का कार्य बाधित होने के संबंध में । इस सदन के अन्दर पीठ से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा उस दिन यह व्यवस्था दी गयी थी कि लोक निर्माण मंत्री जी का जो त्याग-पत्र का प्रश्न है वह माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल की बीच का विषय है उसे सदन से कोई लेना-देना नहीं है । चूंकि अभी तक लोक निर्माण मंत्री का त्याग-पत्र स्वीकार नहीं हुआ है अतः इस सदन और शासन का कार्य बाधित होने का प्रश्न नहीं है । इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, वह विषय नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरे विषय पर मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं उसकी जांच हम चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । जो सूचना का मन्तव्य है उससे अलग जाकर अनुमति नहीं दूंगा । मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि माननीय मंत्री जी का त्याग-पत्र अभी स्वीकार नहीं हुआ है और न इसकी कोई सूचना है । अतः इससे शासन का कार्य या सदन का कार्य बाधित नहीं होता है. इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जांच की उन्होंने खुद ही मांग की थी । उन्होंने कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र देता हूं । जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

त्याग-पत्र स्वीकार करने का अधिकार महामहिम श्री राज्यपाल जी को है । उन्होंने स्वीकार नहीं किया है । जब तक त्याग-पत्र स्वीकार नहीं हो जाता है तब तक मंत्री पद रिक्त नहीं माना जा सकता है । जब माननीय मंत्री जी का पद रिक्त नहीं है तो शासन और सदन का कार्य कैसे बाधित हो सकता है ? जांच की मांग करना यह नियम–300 का विषय नहीं है । अब आगे जो आप बोलेंगे वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । इस सूचना को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

लोक निर्माण मंत्री के त्याग पत्र के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम–289 तथा 291(क) की ओर ले जाना चाहता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियमावली का नियम 289-2 (ङ) है ।

किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेंगे और न कोई आलोचना करेंगे । इसी के आगे (म) है किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगायेंगे । इसी तरह से 291 क–वैयक्तिक स्पष्टीकरण–कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, पहले आप यह स्पष्ट करें कि किसने आरोप लगाया ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे आप संरक्षक के रूप में उस कुर्सी पर संयोगवश बैठे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों का संरक्षण करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कह रहे हैं कि संयोगवश बैठे हुए हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

सौभाग्यवश।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का प्रश्न कहां बनता है किन नियमों के तहत।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का क्या मतलब है ? प्रश्न किसी दूसरे माननीय सदस्य से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अवसर कहां से मिल जायेगा। आप से संबंधित हो तभी अनुमति दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारे से संबंधित है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन की सुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, मेरी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं यह लिखा नहीं जायेगा। समाचार पत्रों में नहीं छपेगा। आपकी बात नहीं लिखी जा रही है किसी प्रकार से। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात लिखी नहीं जा रही है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात न लिखी जा रही है और न प्रकाशित होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात नहीं लिखी जा रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं ।

माननीय अम्बिका जी ने, चूंकि मैंने स्पष्ट किया था कि जब तक वैयक्तिक स्पष्टीकरण की जो नियमावली के नियम 289 और 291 का जो संदर्भ माननीय अम्बिका जी ने दिया, चूंकि नियमावली के उन नियमों में वैयक्तिक स्पष्टीकरण का अवसर दिये जाने के संबंध में उपबन्ध है । माननीय अम्बिका जी से संबंधित कोई वैयक्तिक स्पष्टीकरण और अवसर का प्रश्न इसलिये नहीं उत्पन्न हुआ क्योंकि माननीय अम्बिका जी को कोट करके कोई बात सदन के अन्दर नहीं कही गयी । लिहाजा माननीय अम्बिका जी ने वैयक्तिक स्पष्टीकरण का जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसे मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में निरस्त करता हूं और कड़ाई से निर्देश देता हूं कि इस पीठ के निर्देशों के विपरीत कही गयी कोई बात न कार्यवाही में लिखी जायेगी, न समाचार-पत्रों में या मीडिया में कहीं पर उसका प्रकाशन होगा, न कोट किया जायेगा और न उसके संबंध में चर्चा की जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो कुछ भी आप कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा, न ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली मद ले रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिलया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–4 में कोई सूचना नहीं है । मद संख्या–5 में कोई सूचना नहीं है । मद संख्या–6 में भी कुछ नहीं है । मद संख्या–7 में भी कुछ नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें । बिना अनुमति के जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा और न कहीं पर प्रकाशित किया जायेगा ।

(मद संख्या–8 लेने पर)

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम औतार शाक्य आदि सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 1 मई, 2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल–12 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राजेन्द्र यादव और श्री पीतम राम की है ।

(घोर व्यवधान के मध्य नाम पुकारे जाने एवं श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप व्यवस्थित करा दें तो मैं बोलूं ।

(व्यवधान जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी सूचना को आपके अनुरोध पर स्थगित कर रहा हूं । दूसरी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम कुमार, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री शिशुपाल सिंह और श्री राम विशुन आजाद की है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर,.....

(व्यवधान के मध्य श्री रघुबर दयाल वर्मा अपनी बात कहते रहे ।)

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी सूचना को आपके अनुरोध पर स्थगित कर रहा हूं । तीसरी सूचना श्री जोखू लाल यादव-उपस्थित नहीं, चौथी सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बनारसी दास चांदना की है–उपस्थित नहीं । पांचवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है–उपस्थित नहीं । छठी सूचना श्री रामविशुन आजाद की–उपस्थित नहीं । सातवीं सूचना श्री श्याम लाल रावत की–उपस्थित नहीं । आठवीं सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री इलम सिंह, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी एवं श्री जगपाल सिंह की

है–अनुपस्थित । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं, अतः अस्वीकृत हुईं 1–श्री उबैदुर्रहमान 2–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री राम ललित चौधरी ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यवधान जारी)

(श्री उदयराज यादव के अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर चलें ।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 5 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 2 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

लोक निर्माण मंत्री के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी पीठ की अनुमति से खड़े होकर अगर कोई बात कही जायेगी तो उस स्थिति में जब बात नहीं सुनी जाय तो फिर हम कहां अपनी बात कहें ?

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी

मेरी पीड़ा सुनने से पहले आप बोल रहे हैं । यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई मरीज अपनी पीड़ा पूरी न बता पाये उससे पहले ही डाक्टर पर्चा पकड़ा दे । आपकी अनुमति के बगैर कोई सदस्य जो खड़ा होता है उसे कितने दिनों तक बोलने से रोका जायेगा । इस पर आपकी व्यवस्था आ जाय तो उचित होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । निश्चित रूप से अध्यक्ष पीठ से अनुमति के साथ यदि कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तो उन्हें अवसर दिया जाता है । चूंकि आप नियमों से हटकर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं । इससे पहले ऐसा अवसर सदन में नहीं आया जिसमें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़े और मैंने आपके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि जो भी आप द्वारा कहा जा रहा है वह कार्यवाही का अंश न बने और न ही समाचार-पत्रों में छपे ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, जिस प्रकरण को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हुई उस प्रकरण पर आपका निर्णय आना चाहिए था । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह पत्र और बाबूराम जी का प्रकरण हो या कलराज मिश्र जी का । मिश्र जी ने कहा जांच करा ली जाय । जब तक जांच नहीं होगी वे सदन में नहीं आयेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी बात सुन लें ।

(विपक्ष की ओर से किसी सदस्य द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे पीठ के प्रति कुछ कहने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार बैठे-बैठे असंसदीय भाषा के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

|× × × |

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

| × × × |

श्री धनीराम वर्मा–

आप बीच में टोका-टोकी मत करें । यह उचित नहीं है । .....

(व्यवधान जारी)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

सदन नियम/संविधान के अन्तर्गत जो व्यवस्थायें हैं तथा सदन की जो उच्च परम्परायें हैं उसके अनुसार सदन चलना चाहिए । पीठ से |× × × | के शब्द नहीं आने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ से कोई नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं । श्री राम औतार शाक्य और माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने नियम 54(1) के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में अपनी बात कही उसी संदर्भ में केवल इतना कहना चाहता हूं कि बात कहने का हक माननीय सदस्यों को इसलिए था क्योंकि वह सारी चीजें सदन की कार्यवाही का अंग बन चुकी हैं । आप इसे दिखवा लें । नियम 54(1) के अन्तर्गत यह सारी चीजें उठायी जा सकती हैं जो तत्समय सदन के विचाराधीन हो । श्रीमन्, क्या इस समय यह प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

नोटः–| × × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री वर्मा जी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण पर अध्यक्ष जी की व्यवस्था सुरक्षित है। जिस प्रकरण पर व्यवस्था सुरक्षित है तो उस पर मैं अपनी व्यवस्था कैसे दूं और कैसे चर्चा की अनुमति दुबारा दूं ?

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लीजिए, सम्पूर्ण [illegible] इंजीनियर को यहां बुलाया गया और उसे वापस भेज दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर अध्यक्ष जी की व्यवस्था सुरक्षित है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं कुछ नहीं कहूंगा अगर माननीय अध्यक्ष जी ने सम्पूर्ण प्रकरण पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी हो। कलराज मिश्र जी के इस्तीफा देने या न देने अथवा उस पर जांच के सम्बन्ध में अपना निर्णय सुरक्षित रखा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको याद होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि इस्तीफा देने, न देने इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर अध्यक्ष जी ने किस निर्णय को सुरक्षित कर लिया। माननीय कलराज मिश्र जी ने स्वयं इस्तीफा देते समय यह कहा था कि जब तक जांच नहीं हो जाती मैं सदन में नहीं आऊंगा। सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। एक माननीय मंत्री के आचरण पर धब्बा लगा है कैसे उसकी सफाई हो इसकी जांच होनी चाहिए। सी०बी०आई० से इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अगर दोषी नहीं होंगे तो स्वच्छ छवि के साथ वह यहां पर बैठेंगे और कोई उन पर अंगुली नहीं उठा सकेगा, इतना ही मुझे कहना है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं केवल इतनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रकरण सदन के सामने आया उसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख दी जब उन्हें अवसर होगा, जब वे उचित समझेंगे तब वे इसको सदन को देने वाले हैं। उचित तो यह होगा कि जब तक इस पर अध्यक्ष जी की व्यवस्था न आ जाय तब तक इस प्रकरण पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पुनः इस बात की व्यवस्था दी है कि इस प्रकरण पर जिसका संदर्भ माननीय नेता विरोधी दल ने दिया सम्पूर्ण प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा स्पष्ट तौर पर इस बात की घोषणा की गई कि इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित करता हूं। जिस विषय पर व्यवस्था रिजर्व कर ली गई है उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री धनीराम वर्मा–

अगर सम्पूर्ण शब्द है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप कार्यवाही मंगवाकर देख लीजिये। मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा आप कार्यवाही निकलवा लीजिये।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठें तो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं।

श्री प्रमोद कुमार–

आप स्पष्ट करने से पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर इस प्रकरण के अलावा किसी और विषय पर आपको अपनी बात कहनी है तो अवसर देने पर विचार करूंगा लेकिन अगर इस प्रकरण पर कहना है तो चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं तो नीतिगत बात कह रहा हूं । व्यवस्था के प्रश्न पर पीठ से बार-बार निर्देश दिये जाते हैं । अगर एक बार व्यवस्था आ जाय तो उस विषय पर आप सुनेंगे नहीं और सुनना भी नहीं चाहिये । आपने बताया कि इस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय सुरक्षित है । हम यह चाहते हैं कि उस विषय पर निर्णय आने से पहले सभी दलों के विचार तो ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष ने अधिकांश माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् ही व्यवस्था सुरक्षित की । अब पुनः सुनकर व्यवस्था दी जाय, इसका कोई औचित्य नहीं है । इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । इस विषय पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं है और किसी विषय पर व्यवस्था का प्रश्न हो तो सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम–291 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें लिखा है–अध्यक्ष ऐसे संदस्य को जो बार-बार असंगत बातें करें या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरुचिकर पुनरावृत्ति करें, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेंगे । सुबह से व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर बार-बार असंगत बातें कह रहे हैं और उसकी पनुरावृत्ति कर रहे हैं । पीठ से जब सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित है तो जो लोग बार-बार इस बात को उठा रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उन्हें कम से कम बोलने के लिये प्रतिबंधित करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं स्पष्ट तौर पर निर्देश दे चुका हूं कि इस विषय पर अध्यक्ष जी का निर्णय सुरक्षित है उसके बाद भी व्यवस्था के नाम पर प्रश्न उठा रहे हैं तो बाध्य होकर मुझे निर्देश देना पड़ा कि व्यवस्था के माध्यम से ऐसे प्रकरण पर चर्चा की जा रही है जिस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी रूलिंग रिजर्व कर दी है । मुझे बाध्य होकर निर्देश देना पड़ा कि कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा और समाचार-पत्रों में कहीं उसकी चर्चा नहीं होगी, मैंने कहा कि वाद-विवाद की अनुमति मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से नहीं दूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी आपने कहा नेता विरोधी दल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया .....

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही में जो दर्ज है, वह है, आप पहले सुन लें, जो कार्यवाही में दर्ज है उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं । इस प्रकरण से संबंधित अगर आपको कुछ कहना है तो वह नहीं सुनूंगा क्योंकि इस प्रकरण पर अध्यक्ष पीठ द्वारा व्यवस्था सुरक्षित कर ली गयी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने मना किया मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं लेकिन मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, माननीय अध्यक्ष जी कोई बात उस पीठ से कहते हैं तो अधिष्ठाता उसके बाद यदि पीठ पर जाते हैं तो क्या उनको अधिकार है कि उनकी बात को झुठला दें ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा आप अनावश्यक तूल देकर व्यवस्था के प्रश्न का सहारा लेकर वाद-विवाद करें तो मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो कह रहे हैं लिखा नहीं जाएगा आप नियमावली के नियम [illegible] का उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो अधिष्ठाता पीठ पर विराजमान है उसको अध्यक्ष पीठ के समस्त अधिकार प्राप्त हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

सहकारिता मंत्री ("पटेल" राम कुमार [illegible])

मान्यवर, जिस तरह से यह पीठ [illegible] हनन कर रहे हैं यह उचित नहीं है । यह पीठ का अपमान है ।

नोट :– [XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप जो भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है।

पीठ पर जो भी व्यक्ति विराजमान है उसे स्वतंत्र रूप से अपने विवेक से, नियमों से और संवैधानिक परम्पराओं का अनुसरण करते हुए किसी भी विषय पर विनिश्चय करने का अधिकार है। इसमें किसी भी माननीय सदस्य को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय अम्बिका जी के द्वारा माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को लेकर जो आक्षेपात्मक टिप्पणी की गयी है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। माननीय अम्बिका जी या अन्य जो भी लोग बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। मुझे कौन से अधिकार प्राप्त हैं मैं पूर्णतया भिज्ञ हूं।

मैंने जो भी निर्देश दिया है वह पूर्णतया नियमों, परम्पराओं और संविधान के अनुरूप है।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ पर भिजवा दीजिये। व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विवाद खड़ा करेंगे इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप लोग कृपया बैठें।

(व्यवधान)

जो भी सदस्य बिना अनुमति के कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिनांक 28 अप्रैल को यहां पर एक अधिकारी विशेष को बुलाये जाने के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाओं, प्रश्न, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस सदन के अन्दर चर्चा हुई। उस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् इस गम्भीर संवैधानिक पहलुओं पर, नियमावली से सुसंगत नियमों पर विचार करने के लिये वह अपनी व्यवस्था सुरक्षित करते हैं और सभी का बारीकी से अध्ययन करने के बाद और जो भी साक्ष्य, जो भी पत्र और कोई बात उनके सम्मुख होगी उस पर विचार करने के पश्चात्

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वह अपनी इस पर व्यवस्था देंगे । माननीय अम्बिका जी, यह जो प्रश्न था इसमें जिस विषय को आपने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाने की कोशिश की, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का, अभियोग से संबंधित प्रकरण का जो विषय आपने उठाने का प्रयास किया उस विषय के ऊपर इस व्यवस्था के अन्दर कोई टिप्पणी नहीं की गयी । यह बिन्दु एक संवैधानिक नियमावली और किसी अधिकारी विशेष को तलब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसकी उसके अन्दर व्यवस्था की गयी है । आप इसका उसके पूर्व के दिन की कार्यवाही का भी अवलोकन कर लें । इसका आपको स्मरण कराना चाहता हूं । इस व्यवस्था से दूर-दूर तक यह नहीं बनता कि आपका इस माननीय अध्यक्ष द्वारा जो व्यवस्था सुरक्षित की गयी है जिस पर आप जोर देकर कह रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने का अधिकार नहीं है । यह पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति परम्पराओं, नियमों और संविधान के तहत उसमें क्या उचित समझता है, यदि उससे पूर्व दिवस की कार्यवाही का आप अवलोकन कर लें तो जब यह प्रकरण, जिस बात को जोर देकर आपने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया, सम्मानित सदन के अन्दर उठा तो उस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा जो प्रथम व्यवस्था दी गयी उसमें उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् यह भी कहा था कि मैं इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिये क्या नहीं होनी चाहिये इसके ऊपर अपनी व्यवस्था सुरक्षित करता हूं । जहां तक मंत्री महोदय के त्याग-पत्र का सवाल है वह मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल के बीच का विषय है लेकिन जहां तक उसके ऊपर कार्यवाही का सवाल है आप इसके पूर्व की कार्यवाही निकालकर संस्मरण कर लें उसके ऊपर उन्होंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर ली । जिसमें उन्होंने व्यवस्था सुरक्षित कर ली उसमें दुबारा चर्चा की अनुमति कैसे दी जा सकती है ।

(श्री बाबू राम यादव द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

यह 28 तारीख को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था नहीं है यह उसके पूर्व दी गयी व्यवस्था का है उसके ऊपर उन्होंने सम्पूर्ण प्रकरण पर सुनने के बाद व्यवस्था सुरक्षित कर ली थी । इसलिये मैं किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री बाबू राम यादव–

आप प्रार्थना तो सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

| x x x |

श्री अधिष्ठाता–

आपने उसको पढ़ा नहीं या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । अध्यक्ष पीठ द्वारा इस प्रकरण पर कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है । केवल संवैधानिक पहलुओं और नियमों की बात की गई है, जो किसी अधिकारी विशेष को सदन में बुलाये जाने से संबंधित है । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

| x x x |

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– |xxx| यह अंश श्री आधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें। अम्बिका जी, बहुत हो गया। आप जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वह प्रकरण की व्यवस्था इससे गवर्न नहीं होती है।

श्री बाबू राम यादव–

इसमें मंत्री जी के त्याग-पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप 28 के पूर्व दिन की व्यवस्था को पढ़ें, स्वतः मार्गदर्शन हो जायेगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें, कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री बाबू राम यादव–

| x x x

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें।

श्री बाबू राम यादव–

| x x x |

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मेरा अनुरोध तो सुनें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, बिना अनुमति के जो कुछ बोला गया है, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

मैं बाबू राम जी से एक अनुरोध कर रहा था। डा० जैन साहब आप बैठें। माननीय बाबू राम जी मेरा अनुरोध सुन लें।

श्री बाबू राम यादव–

आप मेरी प्रार्थना सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वह व्यवस्था 28 तारीख की है। मैं आपसे कह रहा हूं आप उससे पूर्व दिन की व्यवस्था देखें।

(श्री बाबू राम यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री कौकब हमीद, श्री उदय राज यादव और श्री राम बिशुन आजाद के खड़े होकर बोलने पर)

नोट : | xxx | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

आप कौन से नियम के तहत अपनी बात कहना चाहते हैं ? आप बतायें किस नियम के तहत आप बोल रहे हैं ? यह मेरे विवेक पर है, आप नियम कोड करिये । बिना नियम के मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बाबू राम यादव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करता हूं, आप नियम बतायें, मैं सुनूंगा ।

श्री बाबू राम यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह बहुत गम्भीर बात है । आप किसी भी विपक्ष के सदस्य की बात सुनना नहीं चाहते .....

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं । मैंने आपसे कहा, एक बार नहीं 10 बार अनुमति दूंगा, मैंने आग्रह किया कि आप नियमावली के सुसंगत नियमों को बतायें, कौन से नियम में आप अपनी बात कहना चाहते हैं ? नियमों का उल्लंघन करके बात कहने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भाषण करना चाहते हैं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप नियमों को पढ़िये ।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा । आप कृपया बैठिये ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बाबू राम यादव–

आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री उदय राज यादव व श्री राम विशुन आजाद द्वारा डायरी राइटर्स की मेज के पास आकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 48 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजकर 48 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 25, 26, 27 और 28 अप्रैल, 2000 की सदन की कार्यवाही यहां लाया हूं और उनकी एक-एक लाइन मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। मान्यवर, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उससे स्पष्ट हो जायेगा, इसलिए आप मुझे इन सभी कार्यवाहियों की एक-एक लाइन पढ़ने की कृपया अनुमति दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

पढ़ने की अनुमति दी जाय, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न बनता है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं जो कहना चाहता हूं उससे स्पष्ट हो जायेगा। मान्यवर, एक तो जब सदन व्यवस्थित हो तभी कोई चीज कही जाती है और जब सदन अव्यवस्थित हो जाय तो दूसरी मद नहीं ली जा सकती है। मैंने आपसे निवेदन किया और एक औचित्य का प्रश्न उठाया जिसको लेकर ग्राह्यता पर बात चल रही थी, हमने एक विचार रखा, श्री अम्बिका चौधरी जी ने अपने विचार रखे, सत्ता पक्ष ने अपने विचार रखे और इस बीच सदन अव्यवस्थित हो गया। उसके बाद आपने दूसरी मद ले लिया और दूसरी मद नियम 56 की थी। न तो हमारे औचित्य के सवाल का कोई निष्कर्स निकला न नियम–56 की नोटिस का.....

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपका औचित्य का प्रश्न निरस्त कर चुका हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित था और उसी समय आपने नियम 56 की सूचनायें ले लीं जोकि बहुत महत्वपूर्ण थीं आप किसी माननीय सदस्य को उसकी ग्राह्यता पर नहीं सुन पाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी, आप सदन की कार्यवाही में शान्तिपूर्वक हिस्सा नहीं लेगे तो इसमें किसी का दोष तो है नहीं । हमने नियम 56 की सूचनायें लीं और जिन माननीय सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि हमारी सूचना को स्थगित कर दीजिए, उन्हें स्थगित कर दिया । आपने अपनी सूचना के बारे में कुछ नहीं कहा । नियम 56 की सूचनायें खत्म हो चुकी हैं । अब अनगिनत व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुना जा सकता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी थी । आप मेरी बात सुन तो लें ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

शाक्य जी अब आप बैठ जायं आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 291 क की ओर दिलाना चाहता हूं यदि कोई माननीय सदस्य व्यवधान उत्पन्न करने की नीयत से व्यवस्था व औचित्य का प्रश्न उठाकर असंगत बातें कहने की कोशिश करते हैं तो इस बात का विनिश्चय अध्यक्ष पीठ के द्वारा किये जाने के उपरांत अनुमति नहीं दी जा सकती ? मैंने अन्तिम रूप से विनिश्चय कर दिया । मैंने आपकी व्यवस्था व औचित्य के प्रश्न को निरस्त कर दिया । अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब आप जो भी कहेंगे वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा । अब मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, व्यवस्था का प्रश्न उठा अगर उस पर व्यवस्था नहीं देंगे तो सदन व्यवस्थित कैसे होगा ? एक मंत्री अध्यक्ष पीठ से इस बात की मांग करता है कि अध्यक्ष जी, जिस एजेंसी से चाहें उस एजेंसी से जांच करवा लीजिए ।.....

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

ऐतिहासिक पर्यटन नगरी आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घण्टे अनवरत् विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।"

मान्यवर, मैंने इस सदन में यह विचार व्यक्त किया था तथा यह निश्चित किया था .....

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैंने दिनांक 19 फरवरी, 1999 को जो संकल्प प्रस्तुत किया था.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

(श्री राम विशुन आजाद व श्री उदय राज यादव समेत विपक्ष के अनेक सदस्यों, द्वारा बेल में आकर नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

मद संख्या–11

प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उसमें विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरो में लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

मद संख्या–12

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरो में लागू की जाय ।"

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

प्रदेश में सतही एवं भू-गर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाने के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में सतही एवं भू-गर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाय ।"

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाय ।"

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 (असरकारी)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित करता हूं ।

कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कानपुर दक्षिण नाम से.....

श्री अधिष्ठाता–

नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा जारी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सहयोग करें और अपना स्थान ग्रहण करें।

आज दिनांक 1 मई, 2000 के नियम 51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में कार्यरत सी० एच० डब्लू० (कम्युनिटी हेल्थ वर्करों) के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।
(2) श्री राम औतार शाक्य	प्रदेश में भयावह रूप से बढ़ रही मुख कैंसर की बीमारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(3) श्री श्याम देव राय चौधरी	वाराणसी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–2 के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(4) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	आगरा महानगर स्थित लेडी लायल महिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

(1) श्री अजय कुमार पोइया	जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की कमी से उत्पन्न गम्भीर संकट तथा पोखरों एवं तालाबों को आदेशों के बावजूद न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(2) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा	लखनऊ स्थित "पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र" की सरकारी उदासीनता के चलते बदहाली तथा संस्थान के अस्तित्व को बरकरार रखे जाने के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

(1) डा० पूर्णमासी पंकज	जनपद संत रविदास नगर भदोही के उप निबंधक कार्यालय (रजिस्ट्री आफिस) में दस्तावेजों में की जा रही व्यापक हेरा-फेरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
(2) श्री रूप चौधरी	प्रदेश के दिल्ली सीमा के निकटवर्ती जनपदों में बढ़ती आबादी के कारण नये थाने खोलने एवं पुलिस बल बढ़ाये जाने के संबंध में।
(3) डा० धर्मज्ञ मिश्र	जनपद हरदोई की कतिपय सड़कों के चौड़े न होने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में।
(4) डा० छोटे लाल वर्मा	जनपद महोबा के चरखारी नगर में राजकीय चिकित्सालय हेतु भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में।
(5) श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद–देवरिया की नगर पंचायत रुद्रपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु एक जल टंकी ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(6) श्री महेन्द्र कुमार — जनपद–बुलन्दशहर स्थित दि-कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, सहकारी नगर की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(7) श्री राम नरेश यादव — जनपद आजमगढ़ में फूलपुर कस्बे में हुई जय प्रकाश विश्वकर्मा की हत्या के अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किये जाने तथा मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने के संबंध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

सर्वश्री रामजग, रघुबर दयाल वर्मा, अरविन्द गिरि, तेजभान सिंह, राम विशुन आजाद, विजय पाल सिंह, पीटर फैन्थम, जोखूलाल यादव, नवाब सिंह नागर तथा श्री उबैदुर्रहमान ।

विश्व व्यापार संगठन के दबाव में हुये मुक्त व्यापार समझौते से प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में देशी जिन्सों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में डा० सत्यनीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि विश्व व्यापार संगठन के दबाव में हुये मुक्त व्यापार समझौते से प्रदेश की मंडियों में विदेशी जिन्सों का 40% कब्जा हो गया है जिससे देशी किसानों व छोटे व्यापारियों का भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है । अतः छोटे व्यापारियों व उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की मांग की गयी है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विदेशों से दलहन/तिलहन/खाद्य तेल/वनस्पति घी आदि का आयात भारत सरकार द्वारा निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत होता है जिस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण है । इससे प्रदेश सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन-लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में डा० अम्मार रिजवी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की भांति उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन दिये जाने हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल से पारित प्रस्ताव शासन में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है । निगम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त अन्य सम्बन्धित विभाग यथा वित्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग इत्यादि से परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्र मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी । निगम में जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आये हैं, इनका मूल विभाग निगम नहीं है तथा अगर मूल विभाग में पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जा रहा है, तब इनको भी पंचम वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिये जाने की व्यवस्था है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कथित रूप से व्याप्त अनियमितताओं एवं अवैधानिकताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष के पद पर प्राइवेट व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर अवैधानिक रूप से मनोनयन किये जाने के संदर्भ में श्री राम औतार शाक्य, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत एक नोटिस दी गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस निगम की स्थापना राज्य कर्मचारियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा उनके कार्यालय प्रांगण में सस्ती दरों पर स्वच्छ एवं शुद्ध जलपान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में हुई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना से ही इसके निदेशक मण्डल के पदेन अध्यक्ष मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन रहे हैं। दिनांक 24-7-1997 को तत्कालीन माननीया मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती जी) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष के पद पर श्री गेंदा लाल गुप्त को नामित किया गया जिसके लिए निगम के रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–3(2) व अन्य संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित था।

श्री गेंदा लाल गुप्त को निदेशक मण्डल के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किये जाने हेतु रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–3(2) तथा नियम–10, जिसमें अध्यक्ष की शक्तियां कार्यकलाप तथा कर्तव्य दिये गये हैं, को परिचालन द्वारा संशोधित कर दिया गया।

श्री गेंदा लाल गुप्त ने रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–10, जो कि नियम–3(2) के साथ संशोधित कर दिया गया है, को निरस्त कर पूर्ववत् स्थिति बनाये रखने हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कराने का निर्देश अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को दिया जिसके अनुपालन में दिनांक 19-7-1999 को निदेशक मण्डल की बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ने भी विशेष आमंत्री के रूप में भाग लिया। प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ने निगम के रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–3(2) तथा नियम–10 में पूर्व में किये गये संशोधन पर यह राय दी कि उक्त संशोधन परिचालन द्वारा कराया गया है अतः उक्त संशोधन अनियमित है क्योंकि निगम के रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–8(7) एवं 17 के अनुसार किसी भी नियम में परिवर्द्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा विलोपन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसी उद्देश्य हेतु निदेशक मण्डल की विशेष बैठक बुलाकर उपस्थित 3/5 सदस्य द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित न किया गया हो। प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ने यह भी परामर्श दिया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित निदेशक मण्डल की विशेष बैठक बुलायी जाय और बैठक में संशोधन को पूर्वगामी तिथि से अनुमोदित कराया जाय। श्री गेंदा लाल गुप्त को अध्यक्ष के रूप में किये गये अब तक के कार्यों, उनके नियुक्ति के फलस्वरूप हुये व्ययों की स्वीकृति प्राप्त की जाय। प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी का यह भी मत है कि यद्यपि रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–7 के अनुसार बोर्ड के संगठन में त्रुटि होने के बावजूद बोर्ड द्वारा किये गये कार्य अनियमित नहीं मान जायेंगे फिर भी पर्याप्त सावधानी के दृष्टिकोण से संशोधन के उपरान्त वाले बोर्ड के समस्त कार्यकलापों की पुष्टि करा ली जाय। पुष्टि के पूर्व श्री गेंदा लाल गुप्त की अध्यक्ष के पद पर किये गये नियुक्ति के आदेश दिनांक 10-9-1997 को निरस्त करने का परामर्श देते हुए यह भी राय दी गयी है कि

निदेशक मण्डल द्वारा श्री गेंदा लाल गुप्त के नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करते हुए नया नियुक्ति आदेश जारी किया जाय । प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ने श्री गेंदा लाल गुप्त को अध्यक्ष के पद पर किये गये मनोनयन को त्रुटिपूर्ण नहीं बताया है । उनके मतानुसार नियुक्ति हेतु निगम के रूल्स आफ एसोसियेशन में संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गयी वह त्रुटिपूर्ण है ।

प्रमुख सचिव, न्याय के उक्त परामर्श के अनुपालन में दिनांक 5-2-2000 को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक मण्डल की विशेष बैठक बुलायी गयी । उक्त बैठक में कतिपय सदस्यों द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी कि जब श्री गेंदा लाल गुप्त का अध्यक्ष के पद पर किया गया नियुक्ति आदेश निरस्त नहीं किया गया है तो श्री गेंदा लाल गुप्त के अध्यक्ष रहते हुए मुख्य सचिव बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं । यह भी कहा गया कि सर्वप्रथम श्री गेंदा लाल गुप्त की अध्यक्ष के पद पर की गयी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त की जाय तथा संशोधन के पूर्व गठित निदेशक मण्डल को ही शासन द्वारा मान्यता दी जाय । इस कार्यवाही के उपरान्त ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल की बैठक की जा सकेगी तभी निगम के रूल्स आफ एसोसियेशन के नियम–3(2) तथा नियम–10 में हुए संशोधन पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के परामर्शानुसार श्री गेंदा लाल गुप्त की अध्यक्ष के पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त करने तथा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल की विशेष बैठक आमंत्रित कर संशोधन को पूर्वगामी तिथि से अनुमोदित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

उक्तानुसार संशोधन के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष के पद पर गैर सरकारी व्यक्ति की भी तैनाती की जा सकती है ।]

जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर तथा जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामदास पुरा व अलहदादपुर में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को शासकीय सहायता दिलाने तथा तत्काल राहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल रावत व श्री रघुवर दयाल वर्मा, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामदासपुरा में दिनांक 08-04-2000 को अग्नि काण्ड की घटना घटित हुई जिसमें 5 परिवार प्रभावित हुए तथा 01 पशुहानि हुई । अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों में रु० 1500/- प्रत्येक परिवार की दर से रु० 500 अहेतुक सहायता व रु० 4200/- गृह अनुदान तथा रु० 2000 की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गई है । ग्राम अलहदादपुर में दिनांक 19-04-2000 को अग्निकाण्ड हुआ जिसमें 11 परिवार प्रभावित हुए । 09 परिवारों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण रु० 600/- प्रत्येक परिवार की दर से कुल रु० 5400/- गृह अनुदान तथा रु० 15,500/- की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में वितरित की गई है । ग्राम अलहदादपुर में कोई जनहानि व पशु हानि नहीं हुई । उक्त दोनों ग्रामों के प्रभावित परिवारों में तत्काल राहत सहायता का वितरण किया जा चुका है ।

जनपद सीतापुर के ग्राम लक्ष्मनपुर तहसील सिधौली में दिनांक 10-04-2000 को सायंकाल में लगी । आग से 29 मकान तथा 37 परिवार प्रभावित हुए तथा एक छोटे पशु की जीवन हानि हुई है । 36 पात्र

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रभावित परिवारों में रु० 1000/- प्रति परिवार की दर से कुल रु० 36000/- अहेतुक सहायता तथा पशु स्वामी को रु० 500/- की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी है। क्षतिग्रस्त 29 मकानों के स्वामियों को नियमानुसार देय गृह अनुदान वितरण तथा इन्दिरा आवास योजना एवं पेयजल सुविधा हेतु हैण्ड पम्प उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे (पूर्वाह्न) पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 1 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र–2000 के छठे सोमवार के लिये निर्धारित श्री मस्त राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर का संलग्नक

क्र०सं०	संवर्ग	सृजित पदों की संख्या
1	2	3
1	संयुक्त निदेशक	01
2	उप निदेशक	21
3	उप निदेशक (संख्या)	01
4	संख्याधिकारी	01
5	लेखा परीक्षा अधिकारी	01
6	वित्त एवं लेखाधिकारी	01
7	सहायक निदेशक (बचत)	50
8	जिला बचत अधिकारी	42
9	वैयक्तिक सहायक	01
10	अपर जिला बचत अधिकारी	96
11	संख्या संवर्ग	80
12	लिपिकीय संवर्ग	156
13	आडिट संवर्ग	06
14	चित्रकार	01
15	वाहन चालक	97
16	समूह "घ"	129
	योग :–	684

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०–एल० 273 विधान सभा (589) 2000–813 (डी०टी०पी०) ।